



सत्यमेव जयते

**राज्य के वित्त पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**



उत्तराखण्ड शासन

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2017**

राज्य के वित्त पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2017

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	राज्य के संसाधन	1.2	5
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	7
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	12
7.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	13
8.	संसाधनों का उपयोग	1.6	13
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
10.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	22
11.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	26
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	29
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	32
14.	राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.12	36
15.	निष्कर्ष	1.13	36
16.	संस्तुतियाँ	1.14	38
अध्याय-2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण			
17.	प्रस्तावना	2.1	39
18.	विनियोग लेखों का सारांश	2.2	39
19.	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.3	41
20.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	48
21.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.5	54
22.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	55
23.	सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना	2.7(अ)	55
24.	असमाधानित व्यय	2.7(ब)	56
25.	बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.8	57
26.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.9	58

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन			
27.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	61
28.	लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना/ विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	3.2	62
29.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.3	62
30.	लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज	3.4	63
31.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.5	64

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	राज्य की रूपरेखा	67
परिशिष्ट 1.1	भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	68
परिशिष्ट 1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	70 71
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	73
परिशिष्ट 1.4	भाग अ: वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग ब: 31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	76 79
परिशिष्ट 1.5	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / वाणिज्यिकवत उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	81
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	82
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	83
परिशिष्ट 2.3	व्यय की तीव्रता	84
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	85
परिशिष्ट 2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	87
परिशिष्ट 2.6 (अ)	वर्ष 2016-17 के दौरान दत्तमत अनुदान से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	90
परिशिष्ट 2.6 (ब)	वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	92
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	93
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	94
परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	95

परिशिष्ट 2.10 (अ)	30 / 31 मार्च 2017 को दत्तमत्त अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	97
परिशिष्ट 2.10 (ब)	30 / 31 मार्च 2017 को प्रभारित विनियोग की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	98
परिशिष्ट 2.11	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं	99
परिशिष्ट 2.12	2014-15 से 2016-17 के दौरान वर्ष के अंत में जमा खाते में स्थानान्तरित की गयी निधि	101
परिशिष्ट 2.13	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2016-17 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2017 को) जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान नहीं हुई	102
परिशिष्ट 2.14	वर्ष 2015-16 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्तित रहा (अगस्त 2017 को)	103
परिशिष्ट 2.15	वर्ष 2016-17 तक के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)	104
परिशिष्ट 3.1	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	105
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	106

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया उत्तराखण्ड सरकार से सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय 3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभियुक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं **चाँदहर्वे वित्त आयोग (चाँ वि आ)** की सिफारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने वर्ष 2012-13 में ₹ 1,787 करोड़ एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ राजस्व आधिक्य का अनुभव किया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य राजस्व आधिक्य को नहीं बनाए रख सका एवं ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुभव किया जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,852 करोड़ तक और गिर गया। तथापि, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ तक कम करने में सक्षम रहा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक द्वारा अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) का 0.20 प्रतिशत था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 1.22 प्रतिशत था और यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ आर बी एम) (संशोधित) एक्ट 2011 में निर्धारित मानक 3.50 प्रतिशत लक्ष्य से कम था। तथापि, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा

बढ़ा और यह क्रमशः ₹ 2,650 करोड़ एवं ₹ 5,826 करोड़ था। यह पुनः वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ तक बढ़ा और स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत था। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,467 करोड़ (2.80 प्रतिशत) रहा जो चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य स रा घ उ का 3.25 प्रतिशत से काफी कम था।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राथमिक आधिक्य (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटे में बदल गया तथा चालू वर्ष तक घाटा ही बना रहा। तथापि, 2015-16 के दौरान ₹ 3,154 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2016-17 के दौरान ₹ 1,744 करोड़ तक कम हो गया।

31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार का संवैधानिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और विगत पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.49 प्रतिशत की सीमा में था जबकि सरकार ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान अपनी उधारियों पर 8.18 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व का स रा घ उ से अनुपात जो 2015-16 में 22.18 प्रतिशत था चालू वर्ष के दौरान 22.84 प्रतिशत तक बढ़ गया। 22.84 प्रतिशत पर, राजकोषीय उत्तरदायित्व (कुल देय ऋण) का स रा घ उ से अनुपात उत्तराखण्ड के संदर्भ में 2016-17 के लिए चौ वि आ द्वारा तय लक्ष्य (22.64 प्रतिशत) से थोड़ा बढ़ा हुआ था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 के दौरान तीन अनुदानों (अनुदान सं 17-कृषि, निर्माण एवं अनुसंधान; अनुदान सं 25-खाद्य एवं अनुदान सं 29-उद्यान विकास) तथा एक विनियोग (विनियोग सं 02-राज्यपाल) में ₹ 5,457.33 करोड़ का आधिक्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना आवश्यक था।

मार्च 2017 माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा आहरित धनराशि ₹ 537.84 करोड़ को बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिये जमाशीर्ष में जमा कर दिया गया।

आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 290.84 करोड़ की धनराशि, 2015-16 के दौरान (₹ 63.14 करोड़) एवं 2016-17 के दौरान (₹ 227.70 करोड़) की प्रतिपूर्ति अगस्त 2017 तक नहीं हुई थी।

वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक से सम्बन्धित आधिक्य व्यय ₹ 15,323.44 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

अध्याय-3**वित्तीय प्रतिवेदन**

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2017 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गये ₹ 327.35 करोड़ के अनुदान से सम्बन्धित 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया था। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण अथवा अनुदान दिये गये थे, के विवरण (अ) सहायता राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (स) निकाय और प्राधिकरण के कुल खर्च को दर्शाते हुए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सकती है, को यथायोग्य चिन्हित नहीं किया जा पा रहा था।

प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि को उपयुक्त लघुशीर्ष में दर्शाने की बजाय लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्ति' में दर्शाया गया था। इसने वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को विपरीत रूप से प्रभावित किया।

अध्याय - 1 | राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृत्तियों और इसकी संगठनात्मक रूपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह अध्याय आधारित है, की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (विश्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 15.70 प्रतिशत के सापेक्ष 17.50 प्रतिशत अधिक रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता और निम्न मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट-1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15*	2015-16*	2016-17*
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.12	13.27	8.29	9.13	10.80

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

* अंतिम * तुरंत * अंतिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 14.12 प्रतिशत से 2014-15 में 8.29 प्रतिशत तक तेजी से गिरी। तथापि, वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 9.13 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में यह पुनः बढ़कर 10.80 प्रतिशत हो गई। स घ उ की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान परिवर्तित हुई। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स रा घ उ की वृद्धि दर स घ उ की

¹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तुलना में अधिक एवं 2014-15 में कम थी। तथापि, यह वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लगभग समान थी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जोकि तेहरवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य से संबन्धित लक्ष्य नीचे प्रस्तर 1.1.2 में वर्णित है। राज्य की मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश परिशिष्ट-1.2 (भाग ब) में दिया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

तालिका-1.1, गत वर्ष (2015-16) के सापेक्ष चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट-1.4 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	कुल
भाग-अ: राजस्व							
कर राजस्व	9,377.79	10,897.31	सामान्य सेवाएँ	8,409.98	9,923.93	10.16	9,934.09
करेत्तर राजस्व	1,219.66	1,345.82	सामाजिक सेवाएँ	9,926.69	5,873.53	4,655.04	10,528.57
संघीय करों/शुल्कों का अंश	5,333.19	6,411.57	आर्थिक सेवाएँ	3,983.21	2,223.90	1,678.76	3,902.66
भारत सरकार से अनुदान	5,303.79	6,234.27	सहायता अनुदान और अंशदान	766.56	906.18	--	906.18
राजस्व प्राप्तियाँ	21,234.43	24,888.97	राजस्व व्यय	23,086.44			25,271.50
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--		पूँजीगत परिव्यय	4,217.38	878.27	4,075.95	4,954.22
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	27.20	34.85	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	83.15	99.10	65.95	165.05
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	6,798.23	6,500.67	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान*	1,996.56	--	--	1,127.40
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	--
आकस्मिकता निधि	190.76	394.77	आकस्मिकता निधि	385.46	--	--	227.70
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	37,745.87	27,855.02	लोक लेखा संवितरण#	36,536.73	--	--	26,607.34
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,772.03	1,464.88**	अंतिम रोकड़ शेष	1,462.80			2,785.95
योग	67,768.52	61,139.16	योग	67,768.52	--	--	61,139.16

* इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं। अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

** वित्तीय लेखाओं 2016-17 प्रोफार्मा सुधार के कारण 2015-16 के अंतिम शेष से भिन्न।

विगत वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- ₹ 24,888.97 करोड़ पर राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,654.54 करोड़ (17.21 प्रतिशत) अधिक थी। यह मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,519.52 करोड़), संघ के करों / शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 1,078.38 करोड़), भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 930.48 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 126.16 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।
- राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 2,185.06 करोड़ (9.46 प्रतिशत) से बढ़ा।
- राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय की तुलना में ₹ 382.53 करोड़ से कम थी, परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में इस सीमा तक का राजस्व घटा रहा।
- पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 736.84 करोड़ (17.47 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि प्रस्तर-1.6.1 में वर्णित है।
- चालू वर्ष में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 27.20 करोड़ से ₹ 7.65 करोड़ (28.13 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 34.85 करोड़ रही।
- ₹ 6,500.67 करोड़ पर लोक ऋण प्राप्ति (अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर) चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष से ₹ 297.56 करोड़ कम रही।
- निवल लोक लेखा प्राप्ति वर्ष 2015-16 में ₹ 1,209.14 करोड़ से 2016-17 में ₹ 1,247.68 करोड़ तक बढ़ी।
- रिजर्व बैंक में जमा में वृद्धि (₹ 1,153.81 करोड़) के कारण वर्ष 2015-16 के अन्तिम अवशेष की तुलना में चालू वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,323.15 करोड़ बढ़ा।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.2 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2016-17						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	*	(+) 25.48	(-) 41.33	(-) 382.53	*	(-) 1,601.30	(-) 825.55
राजकोषीय घाटा / स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.95	2.19	2.80	(+) 13.85	(+) 5.08	(-) 27.85
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.64	19.79	19.80	22.84	(-) 0.88	(-) 15.41	(-) 15.35

* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2012-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 में भी जारी रहा। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, राज्य राजस्व घाटे (₹ 382.53 करोड़) को तेजी से कम करने में सक्षम रहा। राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्डों से कम रहा परन्तु बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 22.84 रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 22.64 से थोड़ा सा अधिक था।

1.1.3 बजट आंकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आंकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आंकलनों (ब आं) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आंकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:

चार्ट-1.1: चयनित राजकोषीय मापदण्ड: वास्तविकों की तुलना में बजट आंकलन

(₹ करोड़ में)




उपरोक्त चार्ट-1.1 से यह स्पष्ट है कि :

- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 5,117 करोड़ (45 प्रतिशत) तथा चालू वर्ष में बजट आंकलन के सापेक्ष दोनों कर और करेत्तर राजस्व

- ₹ 1,220 करोड़ (10 प्रतिशत) और ₹ 1,447 करोड़ (52 प्रतिशत) की वसूली में कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,387 करोड़ (23 प्रतिशत) से कम थी। प्राप्त न किए गए लक्ष्य, राज्य द्वारा केंद्रीय हस्तांतरण के अंतर्गत ₹ 397 करोड़ (सात प्रतिशत) की अधिक राशि प्राप्त कर प्रतिसंतुलित किया गया।
- राज्य सरकार वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय प्रतिबंधित करने में सफल रही और यह चालू वर्ष के लिए ब आं से ₹ 6,978 करोड़ (22 प्रतिशत) कम रहा।
 - पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5,744 करोड़ के बजट अनुमान का चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग न किए जाने के कारण ₹ 4,954 करोड़ का वास्तविक व्यय ₹ 790 करोड़ (14 प्रतिशत) से कम होना रहा।
 - वर्ष 2016-17 बजट आंकलन में निर्धारित ₹ 25 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अपेक्षा ₹ 383 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
 - वर्ष 2016-17 के दौरान, वास्तविक राजकोषीय घाटा (₹ 5,467 करोड़) तथा प्राथमिक घाटा (₹ 1,744 करोड़) बजट आंकलन में निर्धारण से क्रमशः 10 प्रतिशत (₹ 606 करोड़) एवं 20 प्रतिशत (₹ 433 करोड़) कम रहे।

1.2 राज्य के संसाधन




*निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 1,248 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 27,855 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 26,607 करोड़)


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के

वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों (परिशिष्ट-1.1) में दर्ज है जबकि चार्ट-1.2 वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट-1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को वर्णित करता है।



*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण



वर्ष 2016-17 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2012-13 के ₹ 20,107 करोड़ से ₹ 32,673 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 32,673 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से चार प्रतिशत (₹ 1,248 करोड़) निवल लोक लेखा से आया, जबकि 20 प्रतिशत (₹ 6,536 करोड़) एवं 76 प्रतिशत (₹ 24,889 करोड़) क्रमशः उधारियों एवं राजस्व प्राप्तियों से मिला।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 17 प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व ₹ 1,520 करोड़ (16 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व ₹ 126 करोड़ (10 प्रतिशत),

भारत सरकार से अनुदान ₹ 930 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं केंद्रीय हस्तांतरण ₹ 1,079 करोड़ (20 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति तीन प्रतिशत बढ़ी जबकि कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्ति के अंश में तीन प्रतिशत की कमी हुई। (तालिका-1.1 का संदर्भ लें)।

निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 1,248 करोड़, 2016-17 के दौरान कुल प्राप्ति का चार प्रतिशत प्रदर्शित की गयी जैसा कि प्रस्तर 1.5 में वर्णित है।

1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती रही हैं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना / अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 719.50 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/ अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधि
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	372.55
2.	सीमा प्रबंधन योजना	लोक निर्माण विभाग, चंपावत	200.00
3.	स्वदेश दर्शन- एकीकृत विकास विषय वस्तु आधारित	पर्यटन विकास बोर्ड	40.50
4.	डिजिटल भारत कार्यक्रम	सूचना तकनीकी विकास अभिकरण देहरादून	19.49
5.	पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए क्षमता भवन	निदेशक, पंचायती राज	13.21
6.	तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक रूप से वृद्धि पर राष्ट्रीय मिशन	पर्यटन विकास बोर्ड	12.92
7.	अन्य (50)	विभिन्न अभिकरण	60.83
योग :			719.50


स्रोत: वित्त लेखा -परिशिष्ट-VI।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 1,629.70 करोड़ (केंद्रीय क्रियान्वयन अभिकरणों को सम्मिलित करते हुये) में से ₹ 719.50 करोड़ (44 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

1.3 राजस्व प्राप्ति

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट-1.4 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट -1.4 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई है। 12.80 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 15,747 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 24,889 करोड़ हो गयी, जिसमें राज्य का अपना राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं अनुदान क्रमशः ₹ 4,226 करोड़ (52.71 प्रतिशत), ₹ 3,139 करोड़ (95.91 प्रतिशत) एवं ₹ 1,777 करोड़ (39.86 प्रतिशत) इस दौरान बढ़े। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 49.19 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से आया।

औसतन, 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49.35 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्तियों का रहा। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका-1.4 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	15,747	17,321	20,247	21,234	24,889
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.02	10.00	16.89	4.87	17.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	11.96	11.62	12.54	12.05	12.75
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	1.06	0.75	2.04	0.53	1.59
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.01	1.11	1.61	1.36	1.50

वर्ष 2012-13 में गत वर्ष 2011-12 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों ने 15.02 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई, तथा उसके पश्चात 2013-14 में इसमें 10 प्रतिशत तक गिरावट हुई। वर्ष 2014-15 में पुनः

² परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 6.89 प्रतिशत बढ़ी परंतु वर्ष 2015-16 में पुनः तेजी से 12.02 प्रतिशत घटी। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़ी और 17.21 प्रतिशत पर हो गई।

उत्प्लावकता अनुपात आधार चरों में हुए बदलाव के सापेक्ष राजकोषीय चरों की अनुक्रियाशीलता की मात्रा को दर्शाता है। राजस्व उत्प्लावकता, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, में राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। यह, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी जो कि 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, के कारण वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.53 हो गयी। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.59 तक वृद्धि हुई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2016-17 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	14,487	12,117	10,867	10,897	(-) 24.78	(-) 10.07	(+) 0.28
करेत्तर राजस्व	2,678	2,793	1,316	1,346	(-) 49.74	(-) 51.81	(+) 2.28

जैसा कि तालिका-1.5 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब आं के अनुमानों एवं राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं के संसाधनों से यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान स्वयं का कर राजस्व, चौ वि आ और ब आं के सापेक्ष क्रमशः ₹ 3,590 करोड़, ₹ 1,220 करोड़ कम रहा। तथापि, यह एम टी एफ पी एस के अनुमान से ₹ 30 करोड़ अधिक रहा।

करेत्तर राजस्व चौ वि आ और ब आं के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,332 करोड़ और ₹ 1,447 करोड़ कम था। तथापि, एम टी एफ पी एस के लक्ष्य सरकार द्वारा पूरे किए गए और वास्तविक वसूली ₹ 30 करोड़ अधिक रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह तालिका-1.6 में दी गई है।

तालिका-1.6: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,289 (18)	4,903 (14)	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)
राज्य आबकारी	1,118 (32)	1,269 (14)	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)
वाहनों पर कर	304 (-9)	369 (21)	394 (7)	471 (20)	556 (18)
स्टॉप प्रभार और पंजीकरण शुल्क	648 (24)	687 (6)	714 (4)	871 (22)	778 (-11)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	55 (-80)	128 (133)	279 (118)	195 (-30)	503 (158)
योग	6,414 (14)	7,356 (15)	8,339 (13)	9,377 (12)	10,897 (16)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की घटत / बढ़त की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

राज्य का निजी कर राजस्व, 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 9,377 करोड़ के सापेक्ष 2016-17 में ₹ 10,897 करोड़ हो गया। इस वृद्धि के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर में चार प्रतिशत की अधिकता आई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल (65.65 प्रतिशत) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 17 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य उत्पाद शुल्क था।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर तालिका-1.7 में दी गई है।

तालिका-1.7: करेत्तर राजस्व की प्राप्ति के प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियाँ	114.76	51.12	108.17	89.22	71.77
लाभांश एवं लाभ	0.19	0.30	0.11	5.10	15.21
अन्य करेत्तर राजस्व	1,487.93	1,265.12	1,002.16	1,125.34	1,258.84
योग	1,602.88	1,316.54	1,110.44	1,219.66	1,345.82
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि / कमी	41.08	(-) 17.86	(-)15.65	9.84	10.34

वर्ष 2012-13 में करेत्तर राजस्व ₹ 1,602.88 करोड़ से 2013-14 और 2014-15 के दौरान घटने की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, वर्ष 2015-16 में यह बढ़ गया था। चालू वर्ष के दौरान इसमें पुनः वृद्धि हुई, जो मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (22.93 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (98.08 प्रतिशत) एवं लोक निर्माण (265.95 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई थी। यह ऊर्जा से होने वाली प्राप्ति में कमी (22.83 प्रतिशत) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित रही। वर्ष 2016-17 के दौरान करेत्तर प्राप्तिओं में वानिकी एवं वन्य जीव ₹ 318.21 करोड़ (23.64 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग ₹ 335.17 करोड़ (24.90 प्रतिशत), ऊर्जा ₹ 130.08 करोड़ (9.67 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 71.77 करोड़ (5.33 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.8 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.8: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	869	981	944	1,043	824
राज्य योजना के लिए अनुदान	3,040	3,558	4,083	1,173	1,532
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	8	13	99	609	843
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	540	523	1,879	2,479	3,035
योग	4,457	5,075	7,005	5,304	6,234
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि / कमी	9	14	38	(-) 24	18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	28	29	35	25	25

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान भा स से सहायता अनुदान में वृद्धि दर्शायी परंतु 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, भा स से सहायता अनुदान के अंतर्गत प्राप्त राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2015-16 में ₹ 5,333.19 करोड़ से ₹ 1,078.38 करोड़ (20.22 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 6,411.57 करोड़ हो गयी। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि, निगम कर (₹ 378.88 करोड़), संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 295.79 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 266.18 करोड़), सेवा कर (₹ 107.56 करोड़) और सीमा-शुल्क (₹ 29.85 करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,856.52 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपभोग करने के आवंटित की। भारत सरकार द्वारा 2016-17 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.9: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्त

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2016-17	2016-17 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2016-17 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
1. स्थानीय निकाय				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.69	318.37	318.37	318.37
(i) सामान्य अनुदान	1,694.42	281.45	281.45	281.45
(ii) निष्पादन अनुदान	188.27	36.92	36.92	36.92
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.83	140.41	66.09	66.09
(i) सामान्य अनुदान	652.66	108.41	41.56	41.56
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	32.00	24.53	24.53
योग (1)	2,698.52	458.78	384.46	384.46
2. आपदा राहत निधि	1,158.00	220.00	220.00*	220.00
समस्त योग	3,856.52	678.78	604.46	604.46

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेख।

*केन्द्रांश ₹ 198 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 22 करोड़।

चौं वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका को स्वीकृत की गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य को न स्था नि के अंतर्गत भारत सरकार से अपना पूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, पं रा सं और न स्था नि द्वारा किया गया वास्तविक उपयोग भी राज्य के विभाग से प्राप्त नहीं हो पाया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों / कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती है। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि तालिका-1.10 में वर्णित है।

तालिका-1.10: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)		3,396	4,108	4,754	6,825	6,536
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		--	180	135	--	--
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		428	55	46	27	35
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	1,750	2,500	2,400	3,900	5,450
	अन्य आंतरिक संसाधन	1,183	1,338	2,112	2,801	905
	भारत सरकार	35	35	61	97	146
	योग	2,968	3,873	4,573	6,798	6,501
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)		27	30	18	49	(-) 4
ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर		370	(-) 45	(-) 23	(-) 85	30
स रा घ उ की वृद्धि दर		14.12	13.27	8.29	9.13	10.80
पूँ प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)		40	21	16	44	(-) 4

(₹ करोड़ में)

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2016-17 तक 23 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2012-13 से 2016-17 के दौरान यह 87.40 से 99.60 प्रतिशत के बीच थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 2012-13 के ₹ 428 करोड़ के उच्चतम से 2015-16 के ₹ 27 करोड़ तक सतत घटी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) की बढ़त देखने को मिली।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2012-13 से 2016-17 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2012-13 से 2016-17 के दौरान ₹ 3,422 करोड़ (116.67 प्रतिशत) बढ़ गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 346 करोड़ (5.16 प्रतिशत) से घटी।

बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण (₹ 654.54 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 35,209.59 करोड़) का केवल 1.86 प्रतिशत है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अनुदान 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन गुना (₹ 111 करोड़) बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 48.43 करोड़ (49.92 प्रतिशत) बढ़ा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन - देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर / ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। तालिका-1.11 लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.11: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,513.13	1,528.82	1,035.39	1,116.13	477.74	412.69
ब. आरक्षित निधियाँ	332.46	280.00	149.09	356.63	183.37	(-) 76.63
स. जमा एवं अग्रिम	3,798.92	3,276.70	3,660.57	3,412.01	138.35	(-) 135.31
द. उचन्त एवं विविध	27,622.77	29,078.90	27,246.38	28,028.62	376.39	1,050.28
य. प्रेषण	4,478.59	(-) 6,309.40	4,445.30	(-) 6,306.05	33.29	(-) 3.35
योग	37,745.87	27,855.02	36,536.73	26,607.34	1,209.14	1,247.68


वर्ष 2016-17 के दौरान, चेकों और देयकों के अंतर्गत वितरण से ₹ 870.19 करोड़ के अधिक प्राप्ति ने उचन्त एवं विविध के अंतर्गत संवितरण से अधिक प्राप्ति (₹ 1,050.28 करोड़) को बढ़ाया। अंततः इसके फलस्वरूप, लोक लेखा प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 1,247.68 करोड़ की प्राप्ति वितरण से अधिक हुई।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट-1.5, पाँच वर्षों (2012-13 से 2016-17) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में चार्ट-1.6 में चित्रित किया गया है।




कुल व्यय (कु व्य): वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 14.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय में ₹ 3,005 करोड़ (10.97 प्रतिशत) की बढ़ोतरी, राजस्व व्यय (रा व्य) में ₹ 2,186 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) में ₹ 737 करोड़ एवं ऋण व अग्रिमों में ₹ 82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व व्यय (रा व्य): चालू वर्ष के दौरान रा व्य ₹ 25,272 करोड़ कु व्य (₹ 30,391 करोड़) का 83.16 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान रा व्य में वृद्धि (₹ 2,186 करोड़) के मुख्य कारक, (i) सहायता अनुदान एवं अशंदान (₹ 140 करोड़) (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 602 करोड़) तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ 1,524 करोड़) जिसमें ₹ 752 करोड़ ब्याज भुगतान के सम्मिलित थे, में व्यय वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (पूँ व्य): 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष के सापेक्ष पूँ व्य में ₹ 722 करोड़ (14.62 प्रतिशत) की कमी दर्शायी। तथापि, पूँ व्य में चालू वर्ष के दौरान पुनः ₹ 737 करोड़ की वृद्धि परिलक्षित हुई। कु व्य के प्रतिशत के रूप में, यह वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 19.93 प्रतिशत से 16.30 प्रतिशत घट गई। पूँ व्य ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मध्य वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई, जबकि वर्ष 2015-16 यह घटकर विगत वर्ष की अपेक्षा 14.62 प्रतिशत घट गई। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः 17.48 प्रतिशत से बढ़ा। तथापि, इसके बावजूद वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 5,744.36 करोड़) से कम, परंतु एम टी एफ पी एस (₹ 4,414.83 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य से ज्यादा था।

कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्ष अंश ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति दर्शायी। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान लगभग एक से दो प्रतिशत तक घटा-बढ़ा। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अंश वर्ष 2016-17 के दौरान मामूली तौर पर गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 1.64 प्रतिशत एवं 0.59 प्रतिशत तक कम रहे।



राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (आयोजनागत रा व्य) के अंश में विगत वर्षों की अपेक्षा 2013-14 में ₹ 340 करोड़ (14.01 प्रतिशत), वर्ष 2014-15 में ₹ 2,865 करोड़ (103.54 प्रतिशत) एवं 2015-16 में ₹ 756 करोड़ (13.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, यह चालू वर्ष के दौरान बहुत कम (₹ 44 करोड़) से घटा। आर्थिक एवं सामान्य सेवाओं में आयोजनागत रा व्य में क्रमशः ₹ 291.90 करोड़ एवं ₹ 17.91 करोड़ की घटत रही तथा सामाजिक सेवाओं में (₹ 265.51 करोड़) वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (आयोजनेत्तर रा व्य) वर्ष 2012-13 की अपेक्षा ₹ 11,533 करोड़ से ₹ 7,395 करोड़ (64.12 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 18,928 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, आयोजनेत्तर रा व्य में वृद्धि ₹ 2,230 करोड़ (13.35 प्रतिशत) मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 752 करोड़), वेतन (₹ 822 करोड़) और पेंशन (₹ 542 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए नीचे तालिका-1.12, वास्तविक आयोजनेत्तर रा व्य का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका-1.12: वर्ष 2016-17 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (आयोजनेत्तर रा व्य)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		वास्तविक
	बजट	एम टी एफ पी एस	
	22,250	***	18,928

स्रोत: चौ वि आ का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे।

*** वर्ष 2017-18 से आयोजनगत रा व्य एवं आयोजनेत्तर रा व्य को मिला दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान, आयोजनेत्तर रा व्य (₹ 18,928 करोड़), राज्य सरकार के बजट (₹ 22,250 करोड़) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.13 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है:

तालिका-1.13: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
					ब आं	वास्तविक	ब आं के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन और पारिश्रमिक, जिसमें	5,724 (36.35)	6,431 (37.13)	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	11,753	8,670 (34.83)	(-) 26.23
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,423	6,115	6,944	7,407 (34.88)		8,073 (32.44)	
आयोजनागत शीर्ष*	301	316	365	441 (2.08)		597 (2.40)	
ब्याज भुगतान	2,089 (13.27)	2,056 (11.87)	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,896	3,723 (14.96)	(-) 4.44
पेंशन पर व्यय	1,366 (8.67)	2,131 (12.30)	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,529	3,170 (12.74)	(-) 10.17
उपदान	163 (1.04)	24 (0.14)	209 (1.03)	211 (0.99)	350	208 (0.84)	(-) 40.57
कुल वचनबद्ध व्यय	9,342 (59.33)	10,642 (61.44)	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	19,528	15,771 (63.37)	(-) 19.24
अन्य घटक	2,191 (13.91)	2,807 (16.21)	3,156 (15.59)	3,040 (14.32)	2,722	3,157 (12.68)	(+) 15.98
कुल आयोजनेत्तर रा व्य	11,533	13,449	15,532	16,698	22,250	18,928	(-) 14.93
कुल राजस्व व्यय	13,960	16,216	21,164	23,086	32,250	25,272	(-) 21.64
राजस्व प्राप्तियाँ	15,747	17,321	20,247	21,234	32,276	24,889	(-) 22.89

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं।

वर्ष 2012-13 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 59 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह चार प्रतिशत बढ़ गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत था। तथापि, यह 2012-13 से 2016-17 के दौरान ₹ 6,429 करोड़ बढ़ गया। वचनबद्ध व्यय का उंचा स्तर विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कम गुंजाइश छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 8,670 करोड़), आयोजनेत्तर रा व्य (₹ 18,928 करोड़) का 46 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 10.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 11,753 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 9,736 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के अधिअनुमानित ब आं (36 प्रतिशत) को

राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2016-17 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (12 प्रतिशत) था।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2016-17 में पेंशन पर व्यय ₹ 3,170 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.74 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा 20.62 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए मानकीय निर्धारण (₹ 2,934 करोड़) से आठ प्रतिशत (₹ 236 करोड़) अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-7.5)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अंशदान (₹ 252.90 करोड़) और समरूप सरकारी अंशदान (₹ 252.90 करोड़) दोनों धनराशियों ₹ 505.80 करोड़ को मुख्य शीर्ष-0071-117-कर्मचारियों के लिये “मूर्त अंशदान योजना” के अंतर्गत इंद्राज किया गया है। जिसमें से ₹ 503.35 करोड़ नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को हस्तांतरित किये गये हैं, अवशेष ₹ 2.45 करोड़ अब भी हस्तांतरित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विरासत अवशेष³ ₹ 173.27 करोड़ लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए “मूर्त अंशदान योजना” के अंतर्गत इंद्राज किया गया। वर्ष के दौरान ब्याज की कोई भी धनराशि निधि में जमा नहीं की गई। तथापि, ₹ 2.89 करोड़ एन एस डी एल को हस्तांतरित किये गये तथा ₹ 170.38 करोड़ निधि में शेष रहें। एकत्र न की गयी, मैचिंग न की गयी और अहस्तांतरित धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, योजना का अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.13 में दर्शित है, 2012-13 से 2016-17 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 78.22 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों⁴ (₹ 3,099 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 502 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 75 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 47 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौ वि आ द्वारा निर्धारित 11.62 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 3,723 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.96 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,896 करोड़ से ₹ 173 करोड़ कम था परंतु एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,414 करोड़ से ₹ 309 करोड़ अधिक था।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय

³ विरासत अवशेष योजना की घोषणा तिथि (1 अक्टूबर 2005) एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की सूचना तिथि (31 मार्च 2008) की अवधि के मध्य की धनराशि है।

⁴ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखों के परिशिष्ट-11 के अनुसार पिछले पांच वर्षों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 163.23 करोड़ (2012-13), ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), ₹ 208.71 करोड़ (2014-15) ₹ 211.38 करोड़ (2015-16) और ₹ 207.99 करोड़ (2016-17) को प्रदर्शित किया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिये गये उपदान में मामूली ₹ 3.39 करोड़ (1.60 प्रतिशत) की कमी हुई।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका-1.14 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.14 : स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ब आं	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	501.83	431.05	714.27	615.73	923.12	650.63
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	306.28	321.19	380.17	334.11	622.96	397.77
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	190.59	347.21	301.10	432.46	631.37	508.40
विकास अभिकरण	480.80	562.37	891.07	828.94	1,519.02	953.33
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	134.78	108.99	335.89	338.94	469.37	319.17
ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	12.89	6.88	5.11	18.63	18.30	18.12
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	79.71	111.16	245.18	270.21	144.06	337.78
सहकारिता	9.75	11.83	4.64	4.12	8.54	5.07
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	8.75	10.43	28.58	27.09	52.22	32.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	36.28	49.33	68.80	1.52	43.53	30.69
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	254.31	285.85	412.94	514.86	665.76	446.96
अन्य संस्थाएँ	115.75	80.27	127.67	209.16	748.68	150.30
योग	2,131.72	2,326.56	3,515.42	3,595.77	5,846.93	3,850.22
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	15.27	14.35	16.61	15.58	18.13	15.23

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एन सी आँकड़े।

वर्ष 2012-13 में ₹ 2,131.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹ 3,850.22 करोड़ के कारण स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 1,718.50 करोड़ (80.62 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता में विगत वर्ष ए सापेक्ष ₹ 254.45 करोड़ की वृद्धि प्रदर्शित हुई। चालू वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 41.66 प्रतिशत थी।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः विकास अभिकरण (₹ 124.39 करोड़) जिला परिषद (₹ 75.94 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 67.57 करोड़), सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन (₹ 29.17 करोड़), नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ (₹ 63.66 करोड़) एवं शैक्षिक संस्थाओं (सहायता

प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 34.90 करोड़) के कारण हुई। वित्तीय सहायता में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 67.90 करोड़), अन्य संस्थाएं (₹ 58.86 करोड़) और चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 19.77 करोड़) के संबंध में गिरावट हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

व्यय का उत्तरदायित्व, जो सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय अवसंरचना से संबन्धित है, तथा जो राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं, मुख्यतः राज्य का विषय है। मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता [व्यय श्रेणी तथा कुल व्यय (कु व्य) का अनुपात] किसी विशिष्ट विभाग से संबन्धित कही जा सकती है जब उस विशिष्ट व्यय के शीर्ष को दी गयी प्राथमिकता विशेष श्रेणी राज्यों के उस साल के औसत से कम हो।

तालिका-1.15 वर्ष 2012-13, 2015-16 और 2016-17 में विशेष श्रेणी राज्यों में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है।

तालिका-1.15: 2012-13, 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य# /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य/ स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	24.80	61.10	34.30	30.70	15.10	18.10	5.30
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2012-13	13.51	66.24	38.32	26.40	19.93	22.15	4.83
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	24.70	63.90	36.30	30.10	14.00	18.50	6.00
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2015-16	15.55	66.08	39.40	26.38	15.40	18.73	4.96
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.50	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2016-17	15.57	64.09	37.76	25.79	16.30	18.91	4.60

स व्य: सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।
विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
स्रोत: संबन्धित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महलेखपरीक्षक का कार्यालय।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2012-13 के साथ 2015-16 तथा 2016-17 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2015-16 एवं 2016-17 में सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2012-13 के सापेक्ष क्रमशः 2.04 प्रतिशत एवं 2.06 प्रतिशत अधिक था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2015-16 एवं 2016-17 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2012-13 के सापेक्ष क्रमशः 0.16 प्रतिशत एवं 2.15 प्रतिशत कम था।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष 2015-16 में सामाजिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में 1.08 प्रतिशत अधिक था जबकि 2016-17 में यह 0.56 प्रतिशत कम हुआ।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आर्थिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 0.02 प्रतिशत एवं 0.61 प्रतिशत कम हो गया।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 4.53 प्रतिशत एवं 3.63 प्रतिशत कम हो गया।

आगे, विशेष श्रेणी राज्यों एवं उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के औसत का वर्ष 2012-13 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में स रा घ उ का सकल व्यय अनुपात में कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात में विकास व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक रहा। विकास व्यय, आर्थिक एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय से मिलकर बनता है।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में सामाजिक क्षेत्र व्यय सकल व्यय के अनुपात में अधिक रहा।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में आर्थिक व्यय सकल व्यय के अनुपात में कम रहा।
- राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को 2012-13, 2015-16 एवं 2016-17 में प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सकल व्यय के अनुपात में अधिक रहा।
- जैसा की तालिका-1.15 दर्शाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि तीनों वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त,

⁵ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁶ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर **तालिका-1.16** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका-1.17**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) के अंश की औसत दर 48 प्रतिशत रही। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वि रा व्य ने विगत वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की परंतु कुल व्यय में इसके अंश में (चार प्रतिशत) की कमी आई। विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पू व्य) में 2012-13 से 2014-15 तक लगातार बढ़ोतरी हुई, परंतु वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 के दौरान यह ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) घट गया। तथापि, इसमें 2016-17 के दौरान पुनः ₹ 776 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल व्यय में वि पू व्य के अंश में वर्ष 2016-17 में विगत वर्ष की अपेक्षा एक प्रतिशत बढ़ गया। 2012-13 से 2016-17 तक विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि 65.40 प्रतिशत तक हुई, यद्यपि कुल व्यय में इसका अंश लगभग 65-66 प्रतिशत रहा।

तालिका-1.16: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ब आं	वास्तविक
विकासपरक व्यय	11,776 (66)	13,216 (65)	17,955 (68)	18,098 (66)	25,717	19,477 (64)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	8,091 (45)	9,366 (46)	13,081 (49)	13,910 (51)	19,866	14,431 (47)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	3,413 (19)	3,574 (18)	4,725 (18)	4,106 (15)	5,457	4,882 (16)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	272 (2)	276 (1)	149 (1)	82 (-)	394	164 (01)

कोष्ठक के आँकड़े समय व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.17: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2015-16			2016-17		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.47	15.42	0.013	0.63	15.58	0.008
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.52	3.37	0.021	0.38	3.30	0.020
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	1.56	0.04	0.008	1.17	0.04	0.009
सा से पर कुल व्यय	3.15	19.84	0.053	3.12	19.91	0.105

आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	0.37	2.91	0.069	2.81	2.83	0.093
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.58	1.16	0.172	1.53	1.10	0.118
विद्युत एवं ऊर्जा	0.21	0.00	0.000	0.43	0.00	0.000
परिवहन	5.11	0.09	0.023	4.56	0.09	0.327
आ से पर कुल व्यय	11.84	5.50	0.267	12.95	5.38	0.542
सा से + आ से पर कुल व्यय	14.99	25.34	0.320	16.06	25.29	0.646

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2016-17 में, वर्ष 2016-17 के लिए पूँजीगत व्यय में अच्छी बढ़ोत्तरी की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ के द्वारा संवीक्षा करके पूँजीगत व्यय को पुनरीक्षित किया और राज्य विधान सभा में बजट 2017-18 के साथ प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में लक्ष्य को कम किया। राजकोषीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने विगत वर्ष 2015-16 की तुलना में 17.48 प्रतिशत (₹ 737 करोड़) अधिक निधियों को पूँजीकृत किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन लाभ, सामाजिक सेवाओं पर मामूली रूप से बढ़ गया परंतु आर्थिक सेवाओं पर घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय बढ़ गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2017 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.18 में दी गयी है।

तालिका-1.18: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2017 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	297	1,716.37	1,773.77	57.40	1,007.56

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2017 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखे।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका-1.19) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था जो पिछले पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.49 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान ऋणों पर 8.18 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका-1.19: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,397	2,677	2,809	2,914	3,124
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.19	0.30	0.11	5.10	15.21
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.01	0.004	0.18	0.49
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.50	7.57	7.73	8.19	8.90
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.49	7.56	7.73	8.01	8.41

स्रोत: वित्त लेखे।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य निवेश (25 प्रतिशत से अधिक) (i) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 1,087 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,085 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (₹ 421 करोड़) में थे। वर्ष 2015-16 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,051 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने वर्ष 2015-16 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 423 करोड़ एवं ₹ 67 करोड़ का लाभ संचित किया था।

1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ / हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल परिशिष्ट-1.5 में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी तथा देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2011-12 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं / संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.20, 31 मार्च 2017

को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.20: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	
			ब आं	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	940.97	1,046.36	--	1,596.45 [#]
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	150.97	83.15	395.22	165.05
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	45.58	27.20	41.13	34.85
अंतिम शेष	1,046.36	1,102.31	--	1,726.65
निवल वृद्धि	105.39	55.95		130.20
ब्याज प्राप्तियाँ	0.14	0.14		0.17
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.01	0.01		0.01
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.19	7.61		8.35
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियाँ के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.18	7.60		8.34
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)।

[#] उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के ₹ 83.15 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 165.05 करोड़ अग्रिम ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 81.90 करोड़ (98.50 प्रतिशत) अधिक था। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7.65 करोड़ की अधिकता दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान रहीं। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार अवशेष राजकोषीय दायित्व की औसत ब्याज दर 8.35 प्रतिशत थी, जो कि विगत वर्ष से अधिक थी जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों / सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.01 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

31 मार्च 2017 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,726.65 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 895.31 करोड़), परिवहन (₹ 140.29 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 132.40 करोड़) क्षेत्र थे। कुल बकाया ऋणों की समीक्षा से प्रकाश में आया कि मार्च 2017 के अंत तक चार क्षेत्रों द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया और एक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ) में पुनर्भुगतान बहुत कम था, जबकि आगे ऋणों को दिया गया जिस कारण बकाया अवशेष वर्षों के साथ बढ़ा। तालिका-1.21 लम्बे समय से लंबित ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाती है।

तालिका-1.21: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	सामान्य सेवायें (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	42.09	47.89
3.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	451.46	660.81	795.99	797.92	895.31
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	9.53	9.53	503.68 [#]
5.	परिवहन	125.11	135.11	135.11	136.11	140.29
योग		647.66	867.01	1002.19	1005.12	1,606.64

[#] अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.22 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.22: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को	31 मार्च 2017 को
सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	3.84	1,157.65
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	3.84	1,157.65
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	344.74	451.51
योग (अ)	348.58	1,609.16
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 13.56	(-)11.02
प्रारूप सुधार में समायोजन के कारण	(+) 2.05	--
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.84	(-) 0.81
प्रारूप सुधार में समायोजन के कारण	(+) 0.03	--
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,128.62	1,188.62
योग (ब)	1,116.30	1,176.79
महायोग (अ) + (ब)	1,464.88	2,785.95

स्रोत: वित्त लेखे।

यू पी एवं उत्तराखण्ड के बीच अवितरित बकाया का समायोजन प्रारूप सुधार।

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 1,464.88 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,785.95 करोड़) के अन्त में ₹ 1,321.07 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। नैमित्तिक निधि की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान निवेशित रोकड़ शेष पर ₹ 24.06 करोड़ (6.98 प्रतिशत) का ब्याज अर्जित किया, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी बाजार उधार राशियों पर 8.90 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम दिनों (275 दिन) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 90 (विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य को ₹ 3.84 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 1,209.48 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 5,450 करोड़ की बाजार उधारियां, बजटीय लक्ष्य ₹ 4,900 करोड़ से ₹ 550 करोड़ अधिक थीं। राजकोषीय घाटा जो वर्ष 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ था, को अधिकांश रूप से बाजार उधारियों ₹ 5,081 करोड़ से प्रबंधित किया गया।


1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** में 31 मार्च 2016 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.7** और **चार्ट-1.8** में प्रस्तुत की गई है।



वर्ष 2016-17 का ऋण-स रा घ उ अनुपात (22.84 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात (22.18 प्रतिशत) की तुलना में 0.66 प्रतिशत सुधरा। यह अनुपात चौ वि आ द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित मापदण्ड (22.64 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2012-13 के ₹ 25,540 करोड़ से 74.56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 44,583 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताओं में लोक ऋण (₹ 35,210 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 6,390 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,983 करोड़) सम्मिलित थे। पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों (₹ 5,514 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण, लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 5,263 करोड़, ₹ 413 करोड़ तक बढ़ गये थे। यह ₹ 135 करोड़ से जमा एवं ₹ 137 करोड़ की आरक्षित निधि में कमी से

प्रतिसंतुलित हुआ। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में 14.11 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 1.31 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 1.31 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.79 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.64 गुना थे।

1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 271.89 करोड़) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ (₹ 1,273.57 करोड़ निवल) हैं। इन सात निधियों में से तीन निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹ 0.57 करोड़ नामे) तथा चार निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹ 1,546.03 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2016 को, इन निधियों के सापेक्ष ₹ 1,622.09 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से विभिन्न आरक्षित निधियों में ₹ 280.00 करोड़ की धनराशि का बहीखाता अंतरित की और इन निधियों से ₹ 356.62 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2017 को ₹ 1,545.46 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान ₹ 60.00 करोड़ का निवेश किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹ 1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹ 356.84 करोड़ का शेष रहे।

निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उपरोक्त बताये गए निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया।

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र ज तथा क के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹ 57.95 करोड़ का वार्षिक दायित्व हैं जिन्हे राज्य सरकार को वहन करना है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था इसके बावजूद ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा धनराशियों में 1 अप्रैल 2016 को शेष विद्यमान था। जिसका विवरण तालिका-1.23 में है:

तालिका-1.23 - आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2016-17 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	7.5 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	407.58	30.57
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	-तदैव -	365.01	27.38
कुल ब्याज				57.95

समेकित ऋण शोधन निधि : बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (राज्य सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने ऋण शोधन निधि 2006 के सृजन एवं व्यवस्था के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शन / निर्देशों के अधीन, राज्यों को पिछले वर्ष के अंत के अपनी बकाया दायित्वों के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत (आंतरिक ऋण+लोक लेखा दायित्व) का सहयोग देना आवश्यक है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार, निधियों का संचालन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 में, न्यूनतम आवश्यक निवेश ₹ 195.34 करोड़ (बकाया दायित्वों ₹ 39,068.63 करोड़ के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 50 करोड़ ही राज्य की संचित निधि से शोधन निधि में विनियोजित की गयी, अर्थात् ऋण शोधन निधि योजना के प्रावधानों के विरुद्ध, ₹ 145.34 करोड़ कम। राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया कि क्या निधियों के प्रावधान के अनुसार सहयोग की गयी निधि का पुनर्वलोकन निधि में पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने पर किया गया है। 2016-17 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,228.00 करोड़ था जो बकाया दायित्वों ₹ 44,582.67 करोड़ का 2.75 प्रतिशत है। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,153.62 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ): भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके संयोजित किया जाता है। जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अधीन दी गयी धनराशि का व्यय सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2016 को, निधि में ₹ 407.57 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2016-17 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए ₹ 198.00 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 22 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 355.68 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किया गया। जिससे निधि में 31 मार्च 2017 को ₹ 271.89 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत

अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका-1.24 में दी गई हैं:

तालिका-1.24: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,475	1,832	1,743	1,258
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	8.52	9.05	8.21	5.05

स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2017 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,258 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 989 करोड़), सहकारिताओं (₹ 50 करोड़) और अन्य (₹ 219 करोड़) सम्मिलित थे। सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। वित्त लेखे (विवरण 20) की संवीक्षा में पाया गया कि प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि ब्याजरहित थी। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि सही राशि प्रदर्शित नहीं की। तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा सूचना उबलब्ध नहीं करायी जा रही है, के आधार पर सभी मामलों में प्राप्य एवं प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की पूर्ण सूचना वित्त लेखे में नहीं दी गई है।

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उचित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठन किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10 करोड़ संचित निधि से ऋण मोचन निधि में विनियोजित की गई। 31 मार्च 2017 को ऋण मोचन निधि में ₹ 60.89 करोड़ (आर बी आई द्वारा आंकलित ₹ 25.89 करोड़ के ब्याज सहित) की निधि बकाया थी। यह समस्त बकाया निधि के तहत निवेशित किया जा चुका था।

1.10 ऋण प्रबंधन


(i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-1.25 एवं चार्ट-1.9 में दी गई है।

तालिका-1.25: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	राशि	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,245.28	3.54
1-3 वर्ष	2,557.10	7.26
3-5 वर्ष	3,620.69	10.28
5-7 वर्ष	5,586.63	15.87
7 वर्ष से अधिक	18,689.89	53.08
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	3,509.92	9.97
योग	35,209.51	100.00



स्रोत: वित्त लेखे।

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूंकि विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय घाटा था। 31 मार्च 2017 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 53 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में थी।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012-13 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.26 में दिया गया है।

तालिका-1.26: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁷	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक ऋण	18,799	21,355	25,035	29,836	35,210
बकाया लोक ऋणों के वृद्धि की दर	8.64	13.60	17.23	19.18	18.01
राज्य की स रा घ उ	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
स रा घ उ की वृद्धि दर	14.12	13.27	8.29	9.13	10.80
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.45	7.83	8.15	8.53	9.67
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्त (प्रतिशत)	9.68	9.08	9.34	11.02	12.64
ऋण वापसी का ऋण प्राप्त से प्रतिशतता	49.60	34.00	19.55	29.38	17.35
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	-29	984	1,788	2,462	2,227

*राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का आकलन लोक ऋण प्राप्त एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों से लोक ऋण वापसी, ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में आधिक्य से किया गया है।

⁷ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

उपर्युक्त तालिका-1.26 दर्शाती हैं:

- बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में 2015-16 तक लगातार वृद्धि रही। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह कम हुई है। इसके विपरीत स घ रा उ की वृद्धि दर ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.83 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के बीच रही।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य ने राजस्व प्राप्ति के 9.08 से 12.64 प्रतिशत तक लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए उपयोग किया है।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान ऋण वापसी का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत ने उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई है। जहाँ 2012-13 में लोक ऋण प्राप्ति का 49.60 प्रतिशत लोक ऋण की वापसी में उपयोग हुआ वहीं 2016-17 में मात्र 17.35 प्रतिशत इस कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ।
- लोक ऋण (ब्याज सहित) के वापसी के पश्चात लोक ऋण में उपलब्ध निबल धनराशि वर्ष 2013-14 से अनवरत सकारात्मक रही जिससे निधियों के पूँजीकरण के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध रहा।

1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.27, 2012-17 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका-1.27 : राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति


(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशत
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	9.53
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
योग		16,000.00	3,562.03			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखों।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 16,000 करोड़ एवं ₹ 3,562.03 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2012-13 से 2016-17 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 16,000 करोड़) का 22.26 प्रतिशत था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2012-13 में 8.79 प्रतिशत से 2016-17 में 7.49 प्रतिशत की



भारित औसत ब्याज दर से वर्ष 2012-13 में ₹ 743 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,535 करोड़ हो गया। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 में बाजार ऋणों में बढ़ने की लेकिन 2014-15 में घटने की प्रवृत्ति थी। तथापि, 2015-16 में पुनः यह ₹ 3,900 करोड़ बढ़ा और चालू वर्ष के दौरान भी यही प्रवृत्ति रही। 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्तियों ने लगभग 3.11 गुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की उधार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है। नीचे दिया गया **चार्ट-1.10** में 2012-13 से 2016-17 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति दर्शाता है:



1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। **चार्ट-1.11** एवं **चार्ट-1.12** 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स रा घ उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

राज्य ने 2012-13 में ₹ 1,787 करोड़, 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ राजस्व लाभ का अनुभव किया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य राजस्व आधिक्य बनाए रखने में असफल रहा तथा ₹ 917 करोड़ राजस्व घाटे का अनुभव किया जो वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,852 करोड़ तक और भी खराब हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़, स रा घ उ का 0.20 प्रतिशत की महत्वपूर्ण सीमा तक लाने में सफल रहा।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 में स रा घ उ का 1.22 प्रतिशत था जो एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्य 3.5 प्रतिशत से नीचे था। तथापि, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ गया और क्रमशः ₹ 2,650 करोड़ एवं ₹ 5,826 करोड़ हो गया जो वर्ष 2015-16 के दौरान, पुनः ₹ 6,125 करोड़ तक बढ़ गया और स रा घ उ के 3.48 प्रतिशत पर टिका। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा 2.80 प्रतिशत था जो स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत के मानदण्ड लक्ष्य से काफी कम था।

2012-13 के दौरान का प्राथमिक आधिक्य⁸ (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटा में परिवर्तित हो गया और चालू वर्ष तक घाटा ही रहा। तथापि, प्राथमिक घाटा ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर चालू वर्ष में ₹ 1,744 करोड़ रह गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों के निर्माण हेतु दिए गए ₹ 137.91 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत शीर्ष में, ₹ 1,166.76 करोड़ के वृहत निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में, ₹ 0.75 करोड़ के मरम्मत कार्य को पूँजीगत खंड में तथा ₹ 1.66 करोड़ के लघु निर्माण कार्यों को पूँजीगत खंड में दर्शाया जो सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने ऋण-शोधन निधि में ₹ 145.34 करोड़ की कम धनराशि का योगदान किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 57.95 करोड़ के संचित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटों पर उपरोक्त प्रभाव तालिका-1.28 में निम्नवत है:

तालिका-1.28: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा/स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	राजस्व घाटा/स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण	1,164.35 ⁹	--	--	--	0.20	2.80	0.22	2.90
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	137.91	--	--				
3.	ऋण-शोधन निधि में कोई योगदान नहीं	--	2.45	--	--				
4.	प्रतिभूति विमोचन निधि में कम योगदान	--	---	--	---				
5.	शोधन निधि में कम योगदान	--	145.34	--	145.34				
6.	संचित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	57.95	--	57.95				
कुल (सम्पूर्ण) प्रभाव		820.70 (अतिशयोक्ति)		203.29 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.29 में परिलक्षित है।

⁸ उस धनराशि को संदर्भित करता है जो कि सरकार के कुल राजस्व से कुल व्यय के आधिक्य को अपने ऋण पर दिये गए ब्याज भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हुए प्राप्त होता है।

⁹ ₹ 1,166.76 करोड़ - (₹ 0.75 करोड़ + ₹ 1.66 करोड़)।

तालिका-1.29 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटे के घटक						
1.	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+)1,787	(+)1,105	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3,542	(-)3,532	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)155	(-)223	(-) 105	(-) 56	(-) 130
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति						
1.	बाजार ऋण	800	1,736	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081
2.	भारत सरकार से ऋण	6	(-)16	(+) 33	(+) 66	(+) 111
3.	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	505	545	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348
4.	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	215	291	(+) 411	(+) 539	(+) 529
5.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	271	322	(+) 420	(+) 478	(+) 413
6.	जमा एवं अग्रिम	219	352	(+) 399	(+) 138	(-) 135
7.	उचन्त एवं विविध	479	(-)223	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050
8.	प्रेषण	(-)101	317	(+) 450	(+) 33	(-) 3
9.	अन्य ¹⁰	66	(-)186	(+) 203	(-) 12	(+) 90
10.	कुल आधिक्य/घाटा (नकद शेष)	(-)860	(-)488	(+) 661	(+) 309	(-) 1,321
सकल राजकोषीय घाटा		1,600	2,650	5,826	6,125	5,467

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2012-13 से 2016-17।

राजकोषीय घाटा (₹ 5,467 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 5,081 करोड़-93 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 529 करोड़-10 प्रतिशत) से प्रबन्धित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का भाग और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का भाग उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.30) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.30: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति ¹⁰	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=(2-3)	8=(2-6)
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+) 489
2013-14	17,556	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,396	(-) 594
2014-15	20,428	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,146	(-) 3,154
2016-17	24,924	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,375	(-) 1,744

* लोक ऋण प्राप्ति¹⁰ से इतर प्राप्ति¹⁰ अर्थात् ऐसी प्राप्ति¹⁰ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है।

¹⁰ ₹ 167 करोड़ (आकस्मिकता निधि) - ₹ 77 करोड़ (आरक्षित निधि)।

- ऋणोत्तर प्राप्तियाँ 2012-13 से 2016-17 तक 54.09 प्रतिशत बढ़ीं और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, ऋणोत्तर प्राप्तियाँ एवं प्राथमिक राजस्व व्यय के बीच अन्तर 2012-13 में ₹ 4,304 करोड़ से कम होकर 2016-17 में ₹ 3,375 करोड़ हो गया।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने 2012-13 से 2015-16 तक घटने की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, 2016-17 के अन्त में यह ₹ 3,375 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना तक बढ़ा जिसका मुख्य कारण केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया केन्द्रीय कर एवं शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि 2015-16 में ₹ 5,333 करोड़ से 2016-17 में ₹ 6,412 करोड़ का होना एवं भारत सरकार से अनुदान में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा।
- 2012-13 के दौरान राज्य ने प्राथमिक आधिक्य का अनुभव किया यह प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया और 2014-15 के दौरान पुनः कम होकर ₹ 2,826 करोड़ हो गया। केंद्रीय कर में राज्य का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ कम हुआ और ₹ 1,744 करोड़ रहा।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा(-) /आधिक्य(+)	(+) 1,787	(+) 1,105	(-) 917 (16)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 1,755 (100)	(-) 2,427 (92)	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (91)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(+) 155	(-) 223 (08)	(-) 105 (02)	(-) 56 (01)	(-) 130 (02)
राजकोषीय घाटा	(-) 1,600	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467

* कोष्ठक में आंकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार हुआ जब से राजस्व घाटे के भाग में कमी दर्शाई जो 2014-15 में राजकोषीय घाटे का 16 प्रतिशत से 2016-17 में सात प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 82 प्रतिशत से 2016-17 में 91 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राजकोषीय घाटा 2016-17 में 10.74 प्रतिशत घट गया और 2015-16 के 3.48 प्रतिशत के सापेक्ष स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत रहा।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2017) द्वारा चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

एम टी एफ पी एस के ₹ 2,06,182 करोड़ के अनुमान के सापेक्ष चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,95,192 रहा।

राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बढ़कर ₹ 3,654.54 करोड़ (17.21 प्रतिशत) हो गई। यह मुख्यतः राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,519.52 करोड़), राज्य के संघ करों तथा शुल्कों (₹ 1,078.38 करोड़), भारत सरकार से अनुदान (₹ 930.48 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व (₹ 126.16 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।

राज्य का व्यय प्रतिरूप दर्शाता है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा 83.16 प्रतिशत के आसपास रहा। वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि कारण आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 64.12 प्रतिशत बढ़ा।

पूँजीगत व्यय 2012-13 में कुल व्यय का 19.93 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 16.30 प्रतिशत रह गया। चालू वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय ₹ 4,954 करोड़ था जो राज्य सरकार द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 5,744.36 करोड़) के निर्धारित लक्ष्य से कम था।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ तथा सहभागिताओं में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल पीछे पांच वर्षों में लगभग नगण्य था, जबकि दूसरी तरफ, सरकार द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान इसकी उधारियों पर 8.18 प्रतिशत का ब्याज दिया गया।

वर्ष 2016-17 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष के सापेक्ष 0.66 प्रतिशत बढ़ा। यह चौँ वि आ के द्वारा निर्धारित 22.64 प्रतिशत के लक्ष्य से मामूली सा अधिक था।

31 मार्च 2017 को लोक ऋण ₹ 35,210 करोड़ था, जिसका 53.08 प्रतिशत सात वर्षों और उससे अधिक के परिपक्वता अवधि में है।

ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 2012-13 में 13.30 प्रतिशत से 2016-17 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा जो दर्शाता है कि राज्य के राजस्व में लोक ऋण का भार लगातार बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2012-13 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1,787 करोड़ था जो 2013-14 में घटकर ₹ 1,105 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 में राजस्व आधिक्य ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया जो पुनः वर्ष 2015-16 के दौरान बढ़कर ₹ 1,852 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार राजस्व घाटे को 79 प्रतिशत कम करने में सक्षम रही।

वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत) था जो चौँ वि आ द्वारा संस्तुत 3.25 प्रतिशत की युक्तियुक्त सीमा से ज्यादा था। तथापि, 2016-17 के दौरान ₹ 5,467 करोड़ पर राजकोषीय घाटा, स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत चौँ वि आ द्वारा संस्तुत 3.25 प्रतिशत की युक्तियुक्त सीमा से काफी नीचे था।

1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का अपना कर राजस्व बजट अनुमान एवं चौ वि आ अनुमान से कम हुआ। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क से एकत्रीकरण कि वृद्धि दर लगातार कम हुई। पिछले पाँच वर्षों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण कि वृद्धि दर लगातार कम हुई एवं वर्ष 2016-17 के दौरान इस स्रोत से एकत्रीकरण पिछले वर्ष से कम हुआ। राज्य सरकार इसके कारण का पता लगा सकती है और इसकी कर प्राप्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे इसकी पूँजी में बढ़ोत्तरी होने से आर्थिक वृद्धि में योगदान हो सके।
- राज्य उपलब्ध रोकड़ शेष का प्रयोग करने के बाद आवश्यकता आधारित उधारियाँ ले सकता है। यह ऋण मुक्ति अनुपात को सुधारने के लिए कदम उठा सकता है जो 2012-13 में 49.60 प्रतिशत से 2016-17 में 17.35 प्रतिशत तक घट गया है।
- राज्य सरकार को काफी ऊँची दर पर ली गयी उधारियों को लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षे उ में पूँजीगत निवेश कर युक्तियुक्त लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य को अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर कोई अतिरिक्त खर्च न हो।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्षण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 31 अनुदानों / विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में दी गयी है।

तालिका-2.1: वर्ष 2016-17 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि की प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	28,143.15	835.38	28,978.53	21,427.68	(-)7,550.85	450.00	450.00	100
	II पूँजीगत	5,739.36	647.71	6,387.07	6,587.91	(+) 200.84	160.94	160.94	100
	III ऋण एवं अग्रिम	395.22	15.80	411.02	165.04	(-)245.98	0.00	0.00	0.00
योग-दत्तमत		34,277.73	1,498.89	35,776.62	28,180.63	(-)7,595.99	610.94	610.94	100
भारित	IV राजस्व	4,107.25	8.98	4,116.23	3,844.68	(-)271.55	31.22	31.22	100
	V पूँजीगत	5.00	0.00	5.00	1.90	(-)3.10	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	2,032.23	0.00	2,032.23	5,218.68	(+)3,186.45	0.00	0.00	0.00
योग-प्रभारित		6,144.48	8.98	6,153.46	9,065.26	(+)2,911.80	31.22	31.22	100
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग		40,422.21	1,507.87	41,930.08	37,245.89	(-)4,684.19	642.16	642.16	100

स्रोत : विनियोग लेखे।

जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 4,684.19 करोड़ की बचत हुई थी, राजस्व खण्ड (31 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (24 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 10,141.52 करोड़ की बचत जो पूँजीगत खण्ड (दत्तमत) के अन्तर्गत तीन अनुदानों एवं एक विनियोग पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड में ₹ 5,457.33 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई, के परिणामस्वरूप थी।

वर्ष 2016-17 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचत जानकारी में आयी उनका विवरण तालिका-2.2 के अनुसार है।

तालिका-2.2: 2016-17 के दौरान जानकारी में आयी महत्वपूर्ण बचतों का विवरण (₹ 100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	अनुभाग	धनराशि	कुल धनराशि
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	1,284.98	1,284.98
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएं	राजस्व-दत्तमत	1,020.53	1,557.75
		राजस्व-भारित	226.69	
		पूँजीगत-दत्तमत	310.53	
3.	10- पुलिस एवं कारागार	राजस्व-दत्तमत	149.77	149.77
4.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	1,313.18	1,465.91
		पूँजीगत-दत्तमत	152.73	
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत	452.31	452.31
6.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	राजस्व-दत्तमत	416.29	590.74
		पूँजीगत-दत्तमत	174.45	
7.	15-कल्याण	राजस्व-दत्तमत	504.66	504.66
8.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व-दत्तमत	252.03	252.03
9.	19-ग्रामीण विकास	राजस्व-दत्तमत	485.65	485.65
10.	20-सिंचाई व बाढ़	राजस्व-दत्तमत	100.57	396.85
		पूँजीगत-दत्तमत	296.28	
11.	21-ऊर्जा	पूँजीगत-दत्तमत	314.05	314.05
12.	22-लोक निर्माण	पूँजीगत-दत्तमत	323.56	323.56
13.	23-उद्योग	राजस्व-दत्तमत	106.40	106.40
14.	25-खाद्य	राजस्व-दत्तमत	171.66	171.66
15.	27-वन	राजस्व-दत्तमत	210.08	210.08
16.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	542.21	660.17
		पूँजीगत-दत्तमत	117.96	
17.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	138.15	138.15
योग				9,064.72

स्रोत : विनियोग लेखे।

इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान जिन विभागों में आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ (₹ 3,186.45 करोड़), खाद्य (₹ 2,245.80 करोड़), एवं कृषि कर्म एवं अनुसंधान (₹ 16.08 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत / आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत / आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2017)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितंबर 2017)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के तेरहवें अध्याय के प्रस्तर-121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय करना सबसे आपत्तिजनक है और उससे बचा जाना चाहिए। चार प्रकरणों में, ₹ 7,609.96 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 5,457.33 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है। इनमें से **अनुदान संख्या. 25-खाद्य (तालिका-2.3)** में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका-2.3: वर्ष 2012-17 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	25-खाद्य	1,810.59	1,775.56	1,738.25	2,203.83	2,245.80

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरन्तर व्ययाधिक्य यह दिखाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए।

2.3.2 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना / सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन / अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ नौ करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा **तालिका-2.4** में वर्णित है।

तालिका-2.4: वर्ष 2016-17 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि
1.	29-उद्यान विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	9.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2016-17 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय का कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2017)।

2.3.3 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय तेरह का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारत विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार माँगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, ₹ 15,323.44 करोड़ का अधिक व्यय पिछले वर्षों 2005 से 2016 से सम्बन्धित व्यय राज्य विधायिका से अब तक नियमित किया जाना शेष है। वर्षवार नियमितीकरण हेतु आधिक्य धनराशि **तालिका-2.5** में सारांशित है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17,22, 25 एवं 29	2,334.24	
योग			15,323.44	

स्रोत:- विनियोग लेखे।

2.3.4 वर्ष 2016-17 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.6 में वर्ष 2016-17 के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्रधिकृत से अधिक व्यय ₹ 5,457.33 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.6: 2016-17 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-भारित				
1.	07 वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2,032.23	5,218.68	3,186.45
पूँजीगत-दत्तमत				
1.	17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	108.33	124.41	16.08
2.	25 खाद्य	12.07	2,257.87	2,245.80
3.	29 उद्यान विकास	0.00	9.00	9.00
योग		2,152.63	7,609.96	5,457.33

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार / विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को सितंबर 2017 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.5 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 10.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 2,261.88 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

2.3.6 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 17 का प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 36 मुख्य शीर्षों में वर्ष

2016-17 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2017 में अथवा कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में (जनवरी 2017 से मार्च 2017) में किया गया था। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 36 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 7,858.86 करोड़ का 50.69 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

2.3.7 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचतें

2.3.7.1 अनावश्यक / अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 41 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,418.56 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

2.3.7.2 निधियों का अधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक / अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 20 अनुदानों के अन्तर्गत 109 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत / आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा सितंबर 2017 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.7.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

तेरह अनुदानों में, 82 उपशीर्षों के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मदों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 82 उपशीर्षों में ₹ 715.52 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 336.43 करोड़ (47.02 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 22 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 38.95 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में वर्णित है और एक अनुदान में, एक उपशीर्ष के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मदों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इस एक उपशीर्ष में ₹ 52.22 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 26.13 करोड़ (50.04 प्रतिशत) का अभ्यर्पण एक विनियोग में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में वर्णित है।

2.3.7.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 19.26 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 19.48 करोड़ थी, परिणामस्वरूप, ₹ 0.22 करोड़ का अविवेकपूर्ण रूप से अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिये गये हैं।

2.3.7.5 अनुमानित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं हुई

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 13 के खण्ड 1 का प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार करने चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2016-17 के अंत में, 16 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पांच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 4,785.83 करोड़ (कुल बचत¹ का 47.19 प्रतिशत) थी, **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 10,116.39 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 617.88 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणामस्वरूप, ₹ 9,498.51 करोड़ (₹ 10,116.39 करोड़ की बचत का 93.89 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, इसे **परिशिष्ट-2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 11 प्रकरण दत्तमत्त में और एक प्रकरण भारत में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 547.11 करोड़ दत्तमत्त में एवं ₹ 26.13 करोड़ भारत में (कुल ₹ 573.24 करोड़) मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित किया गया {**परिशिष्ट-2.10(अ)** और **परिशिष्ट-2.10(ब)**}। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.7.6 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 58 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 44 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (**परिशिष्ट-2.11**)। ₹ 10,141.52 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 22 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 33 प्रकरणों में ₹ 9,749.41 करोड़, (96.13 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि **तालिका-2.7** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.7: ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों / विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)					
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व - दत्तमत्त					
1.	04	न्यायिक प्रशासन	177.25	54.67	30.84
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,866.81	1,284.98	44.82
3.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	5,938.56	1,020.53	17.18
4.	10	पुलिस एवं कारागार	1,589.83	149.77	9.42
5.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	6,513.93	1,313.18	20.16
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,775.94	452.31	25.47
7.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,161.10	416.29	35.85
8.	15	कल्याण	1,663.21	504.66	30.34
9.	16	श्रम एवं रोजगार	219.74	72.37	32.93
10.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	893.88	252.03	28.20
11.	19	ग्रामीण विकास	1,117.99	485.65	43.44

¹ कुल बचतें ₹ 1,01,41.52 करोड़।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

12.	20	सिंचाई व बाढ़	461.65	100.57	21.78
13.	22	लोक निर्माण	707.66	61.65	8.71
14.	23	उद्योग	230.58	106.40	46.14
15.	25	खाद्य	377.27	171.66	45.50
16.	27	वन	648.38	210.08	32.40
17.	28	पशुपालन	277.68	73.87	26.60
18.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,241.11	542.21	43.69
19.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	344.49	138.15	40.10
योग			28,207.06	7,411.03	26.27
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,010.56	226.69	5.65
योग			4,010.56	226.69	5.65
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	03	मंत्रियों का समूह	100.00	81.31	81.31
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	81.70	74.61	91.32
3.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	394.13	310.53	78.79
4.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	559.06	152.73	27.32
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	484.32	174.45	36.02
6.	19	ग्रामीण विकास	772.10	70.26	9.10
7.	20	सिंचाई व बाढ़	772.68	296.28	38.34
8.	21	ऊर्जा	480.64	314.05	65.34
9.	22	लोक निर्माण	1,679.57	323.56	19.26
10.	26	पर्यटन	189.90	71.64	37.73
11.	27	वन	165.15	64.46	39.03
12.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	325.23	117.96	36.27
13.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	119.12	59.85	50.24
योग			6,123.60	2,111.69	34.48
महायोग			3,83,41.22	97,49.41	25.43

स्रोत : विनियोग लेखे।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए (सितंबर 2017)।

2.3.7.7 निरन्तर बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 47 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका-2.8)।

तालिका-2.8: पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची (2012-13 से 2016-17)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	50.90	36.52	35.73	29.67	54.67
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	64.40	1,466.73	1,037.70	669.86	1,284.98
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	549.18	116.17	480.27	786.13	1,020.53
4.	08-आबकारी	1.02	2.02	1.44	1.91	5.13
5.	10- पुलिस एवं कारागार	32.17	23.71	100.55	60.74	149.77
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	567.60	635.48	741.48	811.98	1,313.18
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	133.41	116.11	397.34	514.02	452.31
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	153.22	308.25	175.86	299.99	416.29
9.	14-सूचना	1.84	1.16	1.01	2.19	4.76
10.	15-कल्याण	191.96	178.11	342.56	396.89	504.66
11.	16-श्रम एवं रोजगार	36.45	28.70	58.20	86.03	72.37

12.	17- कृषि कर्म एवं अनुसंधान	131.83	186.93	91.09	215.51	252.03
13.	18- सहकारिता	6.03	8.53	7.93	6.60	16.69
14.	19- ग्रामीण विकास	133.00	179.22	651.46	126.96	485.65
15.	20-सिंचाई व बाढ़	31.45	36.48	63.40	49.57	100.57
16.	22- लोक निर्माण	56.85	95.65	205.45	119.55	61.65
17.	23- उद्योग	11.32	20.89	14.02	34.66	106.40
18.	24-परिवहन	5.90	3.22	5.27	5.60	11.69
19.	25- खाद्य	230.84	226.55	224.72	129.08	171.66
20.	26-पर्यटन	30.05	13.43	42.46	4.17	18.69
21.	27-वन	27.10	31.00	119.93	80.72	210.08
22.	28-पशुपालन	9.04	24.93	33.92	24.21	73.87
23.	29-उद्यान विकास	7.19	40.87	41.31	61.45	49.46
24.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	114.39	210.01	269.50	490.39	542.21
25.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	36.68	58.99	95.59	117.85	138.15
राजस्व-प्रभारित						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	5.87	5.52	7.59	8.77	28.12
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	41.44	646.03	657.44	414.76	226.69
3.	09-लोक सेवा आयोग	1.93	2.40	1.59	1.64	9.49
4.	22-लोक निर्माण	1.02	1.75	4.71	5.09	1.38
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	01- विधान मण्डल	22.00	22.00	19.97	23.50	9.93
2.	04-न्यायिक प्रशासन	3.76	7.94	19.54	29.06	38.67
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	9.12	13.78	4.85	4.42	74.61
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	20.60	40.81	23.09	15.31	310.53
5.	10- पुलिस एवं कारागार	43.76	46.89	7.55	2.91	17.12
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	122.03	184.55	189.88	370.80	152.73
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	230.97	188.14	24.27	33.80	32.28
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	307.99	275.08	477.85	157.08	174.45
9.	15-कल्याण	3.54	6.75	74.29	39.12	17.66
10.	19- ग्रामीण विकास	132.55	62.82	219.63	51.80	70.26
11.	20- सिंचाई व बाढ़	256.27	609.30	247.86	397.59	296.28
12.	21- ऊर्जा	368.40	325.76	361.66	102.42	314.05
13.	23- उद्योग	23.69	28.21	25.81	16.29	34.66
14.	24-परिवहन	43.95	95.18	30.00	59.21	44.41
15.	26-पर्यटन	55.32	47.68	179.95	63.10	71.64
16.	27-वन	16.32	18.82	8.37	71.35	64.46
17.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	203.71	300.94	299.68	134.77	117.96
18.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	54.28	81.60	42.37	61.52	59.85

स्रोत: विनियोग लेखे।

सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितंबर 2017)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.8 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सरकार समेकित निधि से धनराशि अंतरण कर धनराशि जमा करके, सरकार के दायित्वों को शोधन करने हेतु, वैयक्तिक जमा खाता (वै ज खा) खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम-8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तुरन्त व्यय हेतु केवल आवश्यकता में ही हो सकता है और निवेश अथवा अन्यत्र जमा के लिए सरकारी खाते से निधियों का आहरण वित्त

विभाग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध हैं।

कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना से यह पाया गया कि ₹ 537.84 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार के विभागों द्वारा माह मार्च 2017 में आहरित कर जमा शीर्षों यथा “8338-स्थानीय निधियों के जमा, 8443-सिविल जमा और 8448-स्थानीय निकायों के जमा, में बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु जमा की गई। सिविल जमा 8443-वै ज खा-106 के संबंध में प्रशासक को चाहिए की वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में खाते को बंद कर अवितरित शेष को समेकित निधि में अन्तरित करें। जमा शीर्षों में रखे ₹ 537.84 करोड़ में से ₹ 185.33 करोड़ वै ज खा (मुख्य शीर्ष 8443-106) वर्ष 2016-17 के अंत में रखे हुए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान वै ज खा की स्थिति तालिका-2.9 में दी गयी है।

तालिका-2.9: वर्ष 2016-17 के दौरान वै जमा लेखों की स्थिति (मुख्य शीर्ष 8443-106)

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
25	229.24	19	84.24	25	128.15	19	185.33

ऊपर दी गयी तालिका-2.9 दर्शाती है कि कुल व्यक्तिक जमा खातों की संख्या व उनमें निहित धनराशि विगत वर्षों की तुलना में घटी।

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के लेखाओं की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के अंत में जमा खातों की संख्या में कमी एवं धनराशि में वृद्धि हुई है। जमा खातों की 2014-15 से 2016-17 की स्थिति तालिका-2.10 में दिखायी गयी है।

तालिका-2.10: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि
8338-स्थानीय निधि जमा	6	76.39	05	82.28	05	90.98
8443-सिविल जमा	11	106.30	06	130.74	05	123.71
8448-स्थानीय निकाय जमा	20	61.55	17	33.08	17	38.18
समग्र अवरुद्ध निधि/स्थानान्तरण	37	244.24	28	246.10	27	252.87

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख।

इन लेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि ₹ दो करोड़, ₹ 18.22 करोड़ और ₹ 11.88 करोड़ क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के अन्त में, 26 और 31 मार्च के बीच, बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्षों में जमा किये गये हैं (परिशिष्ट-2.12)।

जिलाधिकारी (जि अ) देहरादून के वैयक्तिक खाता लेखा (वै खा ले) की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में विभिन्न लेखाशीर्षों

से ₹ 11.88 करोड़ की धनराशि नकदी जमा के माध्यम से हस्तान्तरित हुई जैसा कि तालिका-2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.11: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में जिलाधिकारी, देहरादून के पी एल ए में निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

निधि स्थान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष)	कहाँ को स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में धनराशि स्थानान्तरित
31 मार्च 2017	2250-00-800-01	8443-00-106-00	11.88
समग्र स्थानान्तरित निधि			11.88

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के अभिलेख।

वर्ष 2016-17 के अंतिम दिन में ₹ 11.88 करोड़ की निधि के अंतरण के संबंध में पूछे जाने पर वै ज खा के प्रशासक द्वारा सूचित किया गया की निधियों के अंतरण का विवरण और वै ज खा उसके अंतरण करने के कारणों से संबन्धित विभागों में सूचना प्राप्त कर अवगत कराया जाएगा।

आगे, यह देखा गया की जिलाधिकारी, देहरादून के वै ज खा में अंतिम अवशेष ₹ 87.49 करोड़, ₹ 119.50 करोड़ और ₹ 112.07 करोड़ क्रमशः 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 का वै ज खा के बंद न करने के कारण रखा हुआ था।

इस प्रकार, अतिरिक्त अंतिम अवशेष और विभिन्न विभागों से किए गए पत्राचार में यह दिखाया गया की प्रशासक द्वारा इस प्रकार के खातों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में बंद करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास एवं अनुदान संख्या 15-कल्याण के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से 18.62 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 18.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.12 से सारांशित है।

तालिका-2.12: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
2215 तथा 2217- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2014-15	659.70	290.69	950.39	774.53	175.86	18.50	-
	2015-16	513.63	416.70	930.33	630.34	299.99	32.25	(-)18.62
	2016-17	1,083.08	78.01	1,161.09	744.80	416.29	35.85	(+)18.16

स्रोत: विनियोग लेख।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 175.86 करोड़ (18.50 प्रतिशत) और ₹ 416.29 करोड़ (35.85 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष

2016-17 के दौरान, ₹ 78.01 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि, मूल प्रावधान (₹ 1,083.08 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 744.80 करोड़) से अधिक था।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में (₹ 50 लाख से अधिक किसी भी वर्ष में) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विवरण प्रकट हुआ, जैसा की तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विवरण

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विवरण (₹ लाख में)		विवरण (प्रतिशत में)	
		2014-15	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1.	2215-01-101-01	55.00	0.00	56.77	(-)55.00	(+)56.77	(-)100.00	--
2.	2215-01-101-05	18,399.11	16,539.81	15,792.19	(-)1,859.30	(-)747.62	(-)10.11	(-)4.52
3.	2215-01-102-01	14,898.35	5,855.90	7,754.27	(-)9,042.45	(+)1,898.37	(-)60.69	(+)32.42
4.	2215-01-102-04	1,872.57	74.66	0.00	(-)1,797.91	(-)74.66	(-)96.01	(-)100.00
5.	2215-01-102-07	4,471.54	3,000.00	1,330.91	(-)1,471.54	(-)1,669.09	(-)32.91	(-)55.64
6.	2215-01-102-08	2,580.00	0.00	541.11	(-)2,580.00	(+)541.11	(-)100.00	--
7.	2215-01-102-11	500.00	392.80	361.85	(-)107.20	(-)30.95	(-)21.44	(-)7.88
8.	2215-01-102-13	1,500.00	0.00	0.00	(-)1,500.00	0.00	(-)100.00	0.00
9.	2215-01-102-97	9,844.87	3,100.00	0.00	(-)6,744.87	(-)3,100.00	(-)68.51	(-)100.00
10.	2215-01-190-03	2,500.00	2,500.00	4,450.00	0.00	(+)1,950.00	0.00	(+)78.00
11.	2215-01-190-05	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(+)3,000.00	0.00	--
12.	2215-01-800-04	300.00	0.00	100.00	(-)300.00	(+)100.00	(-)100.00	--
13.	2215-01-800-08	0.00	0.00	200.00	0.00	(+)200.00	0.00	--
14.	2215-02-105-01	13,856.98	3,709.60	18,762.73	(-)10,147.38	(+)15,053.13	(-)73.23	(+)405.79
15.	2215-02-106-03	1,304.37	58.57	699.33	(-)1,245.80	(+)640.76	(-)95.51	(+)1,094.01
16.	2215-02-107-01	0.00	1,724.00	0.00	(+)1,724.00	(-)1,724.00	-----	(-)100.00
17.	2217-03-191-03	2,350.89	7,241.74	5,022.91	(+)4,890.85	(-)2,218.83	(+)208.04	(-)30.64
18.	2217-03-800-01	1,269.87	17,036.00	14,331.36	(+)15,766.13	(-)2,704.64	(+)1,241.55	(-)15.88
19.	2217-80-001-03	346.02	239.94	220.93	(-)106.08	(-)19.01	(-)30.66	(-)7.92
20.	2217-80-800-03	15.91	123.35	76.70	(+)107.44	(-)46.65	(+)675.30	(-)37.82
21.	4215-01-101-01	200.00	56.44	0.00	(-)143.56	(-)56.44	(-)71.78	(-)100.00
22.	4215-01-101-03	5,790.70	2,837.12	8,495.44	(-)2,953.58	(+)5,658.32	(-)51.01	(+)199.44
23.	4215-01-102-03	3,636.88	1,577.90	1,294.64	(-)2,058.98	(-)283.26	(-)56.61	(-)17.95
24.	4215-01-102-04	8.31	70.90	0.00	(+)62.59	(-)70.90	(+)753.19	(-)100.00
25.	4215-01-102-05	0.00	0.00	11,487.42	0.00	(+)11,487.42	0.00	--
26.	4217-03-191-97	7,312.30	11,265.28	8,657.82	(+)3,952.98	(-)2,607.46	(+)54.06	(-)23.15
27.	4217-03-800-01	6,616.46	22,103.24	471.93	(+)15,486.78	(-)21,631.31	(+)234.06	(-)97.86

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान 60.88 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 18.26 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.14 से सारांशित है।

तालिका-2.14: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
4215 तथा 4217	2014-15	695.50	18.00	713.50	235.65	477.85	66.97	-
	2015-16	390.38	145.80	536.18	379.11	157.07	29.29	(+)60.88
	2016-17	378.79	105.53	484.32	309.87	174.45	36.02	(-)18.26

स्रोत: विनियोग लेखें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 157.07 करोड़ (29.29 प्रतिशत) और ₹ 477.85 करोड़ (66.97 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 18.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 695.50 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 235.65 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 145.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल आवंटन (₹ 390.38 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 379.11 करोड़) से अधिक था।

इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 105.53 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 378.79 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 309.87 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, (एक करोड़ और अधिक) के मामले तालिका-2.15 में दिये गये हैं।

तालिका-2.15: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग
1.	2014-15	2215-01-102-12	1,000.00	0.00	1,000.00
2.		2215-01-800-01	0.00	150.00	150.00
3.		2217-03-191-01	1,659.00	0.00	1,659.00
4.		2217-03-191-97	1,580.00	0.00	1,580.00
5.		4215-01-101-04	2,500.00	0.00	2,500.00
6.	2015-16	2215-01-102-08	100.00	0.00	100.00
7.		2215-01-102-12	1,000.00	0.00	1,000.00
8.		2215-01-800-06	100.00	0.00	100.00
9.		2217-03-191-97	2,000.00	0.00	2,000.00
10.		2217-80-800-09	100.00	0.00	100.00
11.		4215-01-101-04	500.00	0.00	500.00
12.		4215-01-102-05	0.00	7,500.00	7,500.00
13.	2016-17	2215-01-102-97	2,000.00	0.00	2,000.00
14.		2215-01-800-06	100.00	0.00	100.00
15.		2217-03-191-01	2,370.00	0.00	2,370.00
16.		2217-03-191-04	1,00.00	0.00	100.00
17.		2217-03-191-97	1,400.00	0.00	1,400.00
18.		2217-03-800-13	300.00	0.00	300.00
19.		4215-01-101-01	200.00	0.00	200.00
20.		4215-01-101-04	400.00	0.00	400.00
			योग	17,409.00	7,650.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215 और 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.16 में सारांशित है।

तालिका-2.16: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215 और 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
2014-15	6.00	6.00	4.20	(-)1.80	30.00
2015-16	8.00	8.00	4.07	(-)3.93	49.13
2016-17	8.80	10.63	10.63	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखों

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी / आधिक्य पायी गयी जैसा की तालिका-2.17 में दिया गया है।

तालिका-2.17: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य / कमी	संशोधित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
1.	0215-01-103	2014-15	3.00	3.00	0.00	(-)3.00	(-)100.00
		2015-16	4.00	4.00	0.00	(-)4.00	(-)100.00
		2016-17	4.40	7.36	7.36	0.00	0.00
2.	0217-03-800	2014-15	3.00	3.00	4.20	(+)1.20	40.00
		2015-16	4.00	4.00	4.07	(+)0.07	1.75
		2016-17	4.40	3.27	3.27	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखों

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचरण थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 15 - कल्याण

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से 2.33 प्रतिशत की एवं वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 6.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.18 से सारांशित है।

तालिका-2.18: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2225, 2235, 2250 एवं 2251- कल्याण	2014-15	1,171.05	238.91	1,409.96	1,067.40	342.56	24.30	-
	2015-16	1,228.17	260.96	1,489.13	1,092.24	396.89	26.65	(+)2.33
	2016-17	1,461.33	201.88	1,663.21	1,158.55	504.66	30.34	(+)6.07

स्रोत: विनियोग लेखों

उपरोक्त से सपष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, ₹ 342.56 करोड़ (24.30 प्रतिशत) और ₹ 504.66 करोड़ (30.34 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 238.91 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,171.05 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,067.40 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 260.96 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,228.17 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,092.24 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 201.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,461.33 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,158.55 करोड़) से अधिक था।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में (₹ 50 लाख से अधिक किसी भी वर्ष में) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विवरण प्रकट हुआ, जैसा की तालिका-2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.19: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विवरण

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विवरण (₹ लाख में)		विवरण (प्रतिशत में)	
		2014-15	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1.	2225-01-001-03	148.59	191.20	252.27	(+) 42.61	(+)61.07	(+)28.68	(+)31.94
2.	2225-01-001-05	896.71	1,042.64	1,061.64	(+)145.93	(+)19.00	(+)16.27	(+)1.82
3.	2225-01-001-06	0.00	69.53	12.42	(+) 69.53	(-)57.11	--	(-)82.14
4.	2225-03-102-01	0.00	700.99	45.37	(+) 700.99	(-)655.62	--	(-)93.53
5.	2225-03-277-01	5,301.37	1,211.70	21.34	(-)4,089.67	(-)1,190.36	(-)77.14	(-)98.24
6.	2235-02-101-20	4,702.75	4,733.34	5,990.88	(+)30.59	(+)1,257.54	(+)0.65	(+)26.57
7.	2235-02-102-01	14,167.05	14,292.18	13,239.56	(+)125.13	(-)1,052.62	(+)0.88	(-)7.37
8.	2235-02-102-03	19,060.36	19,317.37	18,960.50	(+)257.01	(-)356.87	(+)1.35	(-)1.85
9.	2235-02-102-06	4,558.93	1,496.93	4,036.82	(-)3,062.00	(+)2,539.89	(-)67.16	(+)169.67
10.	2235-02-103-01	0.00	69.34	141.61	(+)69.34	(+)72.27	--	(+)104.23
11.	2235-02-103-12	7,000.00	16,727.50	5,201.50	(+)9,727.50	(-)11,526.00	(+)138.96	(-)68.90
12.	2235-02-103-14	0.00	0.00	55.50	0.00	(+)55.50	0.00	--
13.	2235-02-103-15	8,779.50	8,228.17	11,683.54	(-)551.33	(+)3,455.37	(-)6.28	(+)41.99
14.	2235-02-103-20	36.25	101.29	235.80	(+)65.04	(+)134.51	(+)179.42	(+)132.80
15.	2235-02-103-24	200.00	100.00	100.00	(-)100.00	0.00	(-)50.00	0.00
16.	2235-02-104-06	1,078.65	2,526.12	1,993.46	(+)1,447.47	(-)532.66	(+)134.19	(-)21.09
17.	2235-02-800-04	379.50	70.00	150.00	(-)309.50	(+)80.00	(-)81.55	(+)114.29
18.	2235-02-800-07	13.91	52.53	0.00	(+)38.62	(-)52.53	(+)277.64	(-)100.00
19.	2235-60-102-05	22,085.33	22,658.96	32,040.18	(+)573.63	(+)9,381.22	(+)2.60	(+)41.40
20.	2235-60-102-06	231.28	1,203.07	1,966.84	(+)971.79	(+)763.77	(+)420.18	(+)63.49
21.	2235-60-107-03	723.31	1,160.89	884.15	(+)437.58	(-)276.74	(+)60.50	(-)23.84
22.	2235-60-200-03	2,149.67	2,833.71	2,833.93	(+)684.04	(+)0.22	(+)31.82	(+)0.01
23.	2235-60-200-07	200.00	0.00	3,350.00	(-)200.00	(+)3,350.00	(-)100.00	--
24.	2235-60-200-08	100.00	0.00	127.43	(-)100.00	(+)127.43	(-)100.00	--
25.	2235-60-800-01	6,206.91	4,647.48	5,008.04	(-)1,559.43	(+)360.56	(-)25.12	(+)7.76
26.	2235-60-800-06	380.01	405.63	0.00	(+)25.62	(-)405.63	(+)6.74	(-)100.00
27.	2250-00-800-01	3,778.59	2,010.84	2,625.62	(-)1,767.75	(+)614.78	(-)46.78	(+)30.57
28.	2250-00-800-05	329.27	324.24	568.25	(-)5.03	(+)244.01	(-)1.53	(+)75.26
29.	2250-00-800-08	0.00	0.00	100.00	0.00	(+)100.00	0.00	--
30.	2250-00-800-16	1,428.75	150.93	103.37	(-)1,277.82	(-)47.56	(-)89.44	(-)31.51
31.	2250-00-800-19	200.00	25.00	0.00	(-)175.00	(-)25.00	(-)87.50	(-)100.00
32.	2250-00-800-20	400.00	300.00	0.00	(-)100.00	(-)300.00	(-)25.00	(-)100.00
33.	2250-00-800-22	0.00	65.00	0.00	(+)65.00	(-)65.00	--	(-)100.00
34.	2250-00-800-23	200.00	0.00	0.00	(-)200.00	0.00	(-)100.00	0.00
35.	2250-00-800-26	0.00	70.00	200.00	(+)70.00	(+)130.00	--	(+)185.71
36.	4235-02-102-01	4,905.50	16.60	300.00	(-)4,888.90	(+)283.40	(-)99.66	(+)1,707.23
37.	4235-02-103-10	1,600.86	400.00	69.88	(-)1,200.86	(-)330.12	(-)75.01	(-)82.53
38.	4250-00-800-05	114.60	0.00	0.00	(-)114.60	0.00	(-)100.00	0.00
39.	4250-00-800-06	0.00	0.00	150.00	0.00	(+)150.00	0.00	--
40.	4250-00-800-09	396.24	0.00	0.00	(-)396.24	0.00	(-)100.00	0.00
41.	4250-00-800-10	599.39	100.00	0.00	(-)499.39	(-)100.00	(-)83.32	(-)100.00
42.	4250-00-800-11	0.00	965.95	1,291.23	(+)965.95	(+)325.28	--	(+)33.67

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान 78.92 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 6.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.20 में सारांशित है।

तालिका-2.20: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
4225, 4235 तथा 4250	2014-15	144.93	12.11	157.04	82.75	74.29	47.31	-
	2015-16	31.56	25.00	56.56	17.44	39.12	69.17	(-) 78.92
	2016-17	36.28	0.00	36.28	18.62	17.66	48.68	(+) 6.77

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 17.66 करोड़ (48.68 प्रतिशत) और ₹ 74.29 करोड़ (47.31 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है एवं वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 12.11 करोड़ का अनुपूरक आवंटन अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 144.93 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 82.75 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 25.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 31.56 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 17.44 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

निश्चित उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, (एक करोड़ और अधिक) के मामले तालिका-2.21 में दिये गये हैं।

तालिका-2.21: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग (₹ लाख में)
1.	2014-15	2235-02-102-16	0.00	750.00	750.00
2.		2235-02-103-14	0.01	144.01	144.02
3.		2235-02-103-21	50.00	100.00	450.00
4.		2250-00-800-14	0.00	300.00	300.00
5.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
6.	2015-16	2235-60-200-07	0.00	200.00	200.00
7.		2235-60-200-08	0.00	150.00	150.00
8.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
9.		4250-00-800-01	300.00	0.00	300.00
10.	2016-17	2225-03-800-09	100.00	0.00	100.00
11.		2235-02-800-01	5,010.00	0.00	5,010.00
12.		2235-60-800-06	400.00	0.00	400.00
13.		2250-00-800-06	500.00	0.00	500.00
14.		2250-00-800-19	200.00	0.00	200.00
15.		2250-00-800-20	300.00	0.00	300.00
16.		2250-00-800-30	100.00	0.00	100.00
17.		2250-00-800-31	100.00	0.00	100.00
18.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
19.		4250-00-800-01	300.00	0.00	300.00
20.		4250-00-800-08	100.00	0.00	100.00
21.	4250-00-800-10	100.00	0.00	100.00	
योग			8,160.01	1,644.01	9,804.02

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान के मुख्य शीर्ष 0235 एवं 0250 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.22 में सारांशित है।

तालिका-2.22: राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, मुख्य शीर्ष 0235 तथा 0250

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य / कमी	संशोधित अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)
2014-15	10.01	10.01	5.45	(-)4.56	45.55
2015-16	16.67	17.27	11.71	(-)5.56	32.19
2016-17	18.94	46.17	46.13	(-)0.04	0.09

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा की तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका-2.23: राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0235 तथा 0250

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/ कमी	संशोधित अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	0235-60-800	2014-15	6.01	6.01	0.88	(-)5.13	(-)85.36
		2015-16	11.67	11.67	6.09	(-)5.58	(-)47.81
		2016-17	12.84	17.10	17.10	0.00	0.00
2.	0250-00-102	2014-15	3.20	3.20	0.00	(-)3.20	(-)100.00
		2015-16	4.00	4.60	0.00	(-)4.60	(-)100.00
		2016-17	5.00	28.57	0.00	(-)28.57	(-)100.00
3.	0250-00-800	2014-15	0.80	0.80	4.57	(+)3.77	471.25
		2015-16	1.00	1.00	5.62	(+)4.62	462.00
		2016-17	1.10	0.50	29.03	(+)28.53	5,706.00

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय भिन्नता थी, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

2.5 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान 91 इकाइयां अर्थात् 18 कोषागार तथा 71 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में थे। वर्ष 2016-17 में 51 इकाइयों³ के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका-2.24 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.24: कोषागारों की जाँच का परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	असमायोजित ए सी बिल	8.05
2.	पी एल ए खातों से अनियंत्रित धन की निकासी	15.59
3.	वित्तीय वर्ष 2015-16 में पेंशन धारकों से स्रोत पर आयकर कटौती न करना	0.34

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2016-17।

उपरोक्त अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कोषागार स्तर पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है।

³ 21 कोषागार और 30 उपकोषागार।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। वर्ष 2016-17 के अंत तक आकस्मिकता निधि कोष में ₹ 750 करोड़ जमा रहा। निधि से अग्रिम आहरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए। तथापि, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा-5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार आवश्यकता के रूप में वर्ष 2016-17 में ₹ 227.70 करोड़ अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2017 तक विधायी द्वारा अधिकृत होने के पश्चात सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे (**परिशिष्ट-2.13**)।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि शासन ने वर्ष 2015-16 से संबन्धित आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 63.14 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति (अगस्त 2017) तक नहीं की थी। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निधि की वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को, **परिशिष्ट-2.14** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूँजीगत व्यय (₹ 15.46 करोड़) जो प्रत्याशित था को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आश्रय लिया तथा इस प्रकार कोष के संचालन करने वाले नियमों का उल्लंघन हुआ।

2.7 (अ) सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2017 तक ₹ 8.06 करोड़ के 123 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण **तालिका-2.25** में दिया गया है।

तालिका-2.25 : सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना (मार्च 2017 के अनुसार)

वर्ष	अवशेष ए सी बिल	
	संख्या	राशि
2014-15 तक	06	0.35
2015-16	03	0.01
2016-17	114	7.70
योग	123	8.06

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

₹ 8.06 करोड़ के कुल बकाये डी सी बिल में, ₹ 4.43 करोड़ के 47 डी सी बिल चुनाव विभाग से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2016-17 तक कार्यालय / विभाग वार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के विलम्बन को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-2.15** में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.7 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें, वर्ष 2016-17 के दौरान भी निरन्तर जारी रहीं।

ऐसा समाधान वर्ष 2016-17 के दौरान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 32 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (51.61 प्रतिशत) द्वारा, ₹ 30,225.72 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 24,265.73 करोड़ (80.28 प्रतिशत), पूर्णतः किया गया।

आठ नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 1,575.76 करोड़ (कुल व्यय का 5.21 प्रतिशत) सम्मिलित हैं, वर्ष 2016-17 के दौरान असमाधानित रहे, जैसा तालिका-2.26 में वर्णित है।

तालिका-2.26: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2016-17 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून	62.76
2.	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन	319.24
3.	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	390.81
4.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क उत्तराखण्ड देहरादून	36.28
5.	उपनिदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड	663.08
6.	आयुक्त, श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून	38.47
7.	वित्त नियंत्रक, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर	11.11
8.	प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	54.01
योग		1,575.76

स्रोत: वी एन सी, महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन का कार्य करने में नाकाम रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, अब तक (सितंबर 2017) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्ष को कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।

गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करें।

2.8 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

- i. बजट साहित्य खण्ड-IV में क्षेत्र-‘क’ कर राजस्व में कतिपय मुख्य शीर्षों यथा मुख्य शीर्ष 0029,0039 के अंतर्गत लघुशीर्ष 900-घटाएँ वापसियाँ तथा मुख्य शीर्ष 0030 के उप मुख्य शीर्ष 01-न्यायिक स्टाम्प के अंतर्गत लघुशीर्ष-901-घटाएँ वापसियाँ का अंकन किया गया है, जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची पुस्तिका (खण्ड-I) में दिये गए सामान्य निर्देश के बिन्दु-2 में निर्देशित है कि क्षेत्र-‘क’ कर राजस्व के अधीन आने वाले मुख्य/उपमुख्य शीर्षों के संबंध में समुचित लघु शीर्षों के नीचे अलग उप शीर्ष “घटाएँ वसूलियाँ” शीर्ष खोला जाना चाहिए।
- ii. बजट साहित्य खण्ड-V भाग-I के अनुसार मुख्य शीर्ष 3454-जनसंख्या के अंतर्गत अनुदान संख्या-07 में लघुशीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को उपमुख्यशीर्ष 02-सर्वेक्षण के अंतर्गत दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार, इसको उपमुख्यशीर्ष 01-जनगणना के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।
- iii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-II के अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य अंकित है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य भवन होना चाहिए था।
- iv. बजट साहित्य के खंड-V भाग-III के अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 80-सामान्य के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102-रखरखाव तथा मरम्मत के रूप में दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053-रखरखाव तथा मरम्मत होना चाहिए था।
- v. बजट पुस्तिका में मुख्य शीर्ष-2245 के अन्तर्गत केवल एक उपमुख्य शीर्ष 05-राज्य आपदा मोचन निधि को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय प्रावधानित है। जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार प्रावधानित उपमुख्य शीर्ष 01-सूखा तथा 02-बाढ़ व चक्रवात हैं।
- vi. बजट साहित्य के खंड-V भाग-II के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत उपमुख्यशीर्ष 02-समाज कल्याण के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 02 के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-‘वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए था।
- vii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-III के अनुदान संख्या-17 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि फर्म के अंतर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य योजनाएँ खोला गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार यह अन्य व्यय होना चाहिए था।
- viii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-I के अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य भवन को दर्शाया गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय होना चाहिए था।

- ix. बजट साहित्य के खंड-V भाग-IV के अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण के अंतर्गत लघुशीर्ष 101-"अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान" दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में 'लघुशीर्ष 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ' दर्शाया गया है।
- x. मुख्य शीर्ष 2052 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघु शीर्ष "091 संलग्न कार्यालय" एवं "092-अन्य कार्यालय" ही प्रावधानित है।

इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 में भी उल्लेखित थी। तथापि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 41,930.08 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 4,684.19 करोड़ की बचत हुयी। तीन अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 5,457.33 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचतें बजट अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 41 प्रकरणों में, ₹ 1,418.56 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 109 प्रकरणों में, निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था, परिणामस्वरूप या तो यह बचतों में अथवा प्रावधानों पर आधिक्य सिद्ध हुआ। विभागों ने इन निधियों का अन्य विकास उद्देश्यों पर उपयोग की संभावना न छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ₹ 573.24 करोड़ समर्पित किये। तीन प्रकरणों में ₹ 0.22 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचतों का निर्धारण और अभ्यर्षण हो जाए ताकि बचतों को प्रभावी तरह से अन्य क्षेत्रों / योजनाओं में उपयोग में लिया जा सके।

आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 15,323.44 करोड़, जो वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक संबन्धित है राज्य विधान मंडल से अभी भी नियमित कराया जाना था।

राज्य सरकार व्यय बजट हेतु अधिक सखती से योजना बना सकती है जिससे अनुमोदित अनुदानों एवं विनियोगों के आधिक्य से बचा जा सके। आगे, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आधिक्य व्यय के स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत किये जाये जिससे इसे नियमित किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2017 में अवमुक्त धनराशि ₹ 537.84 करोड़ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विचार कर सकती है कि मार्च में अवमुक्त धनराशि को बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में स्थांतरित नहीं किया जाए।

29 प्रकरणों में ₹ 227.70 करोड़ की धनराशि आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी और धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष रह गया था।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम, आकस्मिक प्रकार के खर्चों के लिए ही दिये जाएँ और निधि से निकली गयी राशि की समय पर प्रतिपूर्ति की जाए।

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा मार्च 2017 तक ₹ 8.06 करोड़ के आहरित आकस्मिकता बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिकता बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 2017)।

राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि सार आकस्मिक बिल में लिए गए अग्रिम को नियत समय में समायोजित करने के लिए एक कठोर अनुश्रवण तंत्र को स्थापित किया जाए।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ परिलक्षित हुईं। 30 नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में अनियमितताएँ देखी गयीं; जिन पर पूर्व में कार्यवाही नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को दिशा निर्देश देने पर विचार कर सकती है कि वे समयबद्ध / अवधि अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से मिलान कराएँ।

अध्याय - 3 | वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 12 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2017 तक ₹ 490.04 करोड़ की राशि के 353 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 303.25 करोड़ धनराशि के 211 उपयोगिता प्रमाण पत्र दो वर्षों से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 186.79 करोड़ धनराशि के 142 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब तालिका-3.1 में सारांशित है।

तालिका-3.1 : मार्च 2017 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1.	0-1	129	162.69
2.	1-2	82	140.56
3.	दो वर्षों से ऊपर	142	186.79
योग		353	490.04

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2016-17।

तथापि, ₹ 162.69 करोड़ के 129 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नियत तिथि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य है। इस प्रकार, विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2016 तक विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिये गये ₹ 327.35 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना / विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों में सरकार / विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को प्रतिवर्ष दिये गये आर्थिक सहायता, जिन उद्देश्यों के लिए सहायता दी गयी हो और संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 उपलब्ध कराते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं / अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था प्राधिकारी के कुल व्यय को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया कि पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों में से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्ति, विशेषतः विपथन अथवा दुरुपयोग के प्रकरण में, विधायिका / सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम

रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा / राज्य विधानमण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के स्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रस्तुत करें। मार्च 2017 तक, प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट-3.1** में दी गयी है। लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ एवं ‘अन्य प्राप्तियाँ’ का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाता चार्ट में उचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे खाते अपारदर्शी होते हैं। 2016-17 के दौरान, राजस्व लेखों में 39 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य व्यय के अधीन ₹ 2,919.42 करोड़ की राशि, कुल राजस्व व्यय (₹ 25,271.50 करोड़) की 11.55 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार, लेखाओं में 35 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य प्राप्तियों के अधीन ₹ 852.62 करोड़ की राशि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,888.97 करोड़) की 3.43 प्रतिशत रही। दृष्टान्त, जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत अथवा अधिक एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ और लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था, **तालिका-3.2** में दर्शाये गए हैं।

तालिका-3.2 : मुख्य शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अधीन इंड्राज की गयी पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन इंड्राज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन इंड्राज	व्यय की प्रतिशतता
0023	29.43	29.43	100	2040	186.48	115.41	61.89
0059	51.08	51.06	99.96	2217	228.33	163.59	71.65
0210	78.70	78.70	100	2245	1,225.44	1,005.44	82.05
0235	17.10	17.10	100	2250	39.81	39.81	100
0250	29.03	29.03	100	2501	311.50	295.45	94.85
0406	318.21	318.21	100	2810	18.13	10.34	57.03
0801	130.08	130.08	100	3425	19.78	10.67	53.94
योग	653.63	653.61	100	योग	2,029.47	1,640.71	80.84

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेख।

वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, जबकि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकारी लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है। लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विभागीय अधिकारियों ने 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2017 तक देय) को, विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये अनुदानों ₹ 327.35 करोड़ के सापेक्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को मार्च 2016 तक प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

सरकार विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित कर सकती है।

विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों के विवरण महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे जिनको पिछले वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के अनुदान और / अथवा ऋण का भुगतान किया गया था। ऐसे संस्थान जिनकी नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा की जानी थी, समुचित पहचान नहीं की जा सकी।

सरकार अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं एवं अन्य इकाइयों की जवाबदेही हेतु उनके वार्षिक लेखों का समय से अन्तिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित कर सकती है।

केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत, व्यय एवं प्राप्तियों के लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज महत्वपूर्ण राशियाँ 2016-17 के वित्त लेखे में, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी गयीं, जिससे वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

सरकार मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों एवं व्ययों को मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाने के बजाए पृथक रूप से दर्शाकर वित्तीय रिपोर्टिंग की शुद्धता को सुनिश्चित कर सकती है।

देहरादून

दिनांक : 06 फरवरी 2018



(एस. आलोक)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 13 फरवरी 2018



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(संदर्भ: प्रस्तर - 1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आँकड़े*

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े	
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी	
2.	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख	
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.86 लाख	
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी	
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी	
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		11.30 प्रतिशत	
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत	
6.	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म)		34	
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15 में अखिल भारतीय औसत = 68.30)		71.80	
8.	गिनी गुणांक** 2009-10 (यू आर पी)			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)	0.26	
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36	
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2016-17 चालू मूल्य पर		1,95,192	
10.	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2007-08 से 2016-17)		उत्तराखण्ड	15.80
			विशेष श्रेणी राज्य	14.30
11.	जी एस डी पी सी ए जी आर (2007-08 से 2016-17)		उत्तराखण्ड	17.50
			विशेष श्रेणी राज्य	15.70
12.	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		उत्तराखण्ड	13.30
			विशेष श्रेणी राज्य	11.40

ब. वित्तीय आँकड़े :

सी ए जी आर								
विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)					
सी ए जी आर			2007-08 से 2015-16		2011-12 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
			उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.17	13.40	15.75	11.79	17.21	14.44	
ख	राजस्व कर का	16.63	17.20	18.63	14.50	16.21	4.99	
ग	करेत्तर राजस्व का	7.82	6.58	2.41	4.51	10.33	21.61	
घ	कुल व्यय	13.85	11.78	20.79	10.09	10.97	18.78	
ङ	पूँजी व्यय	8.26	6.17	22.09	6.86	17.48	50.62	
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	15.76	15.30	12.57	11.36	8.94	13.86	
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	20.26	17.91	25.24	16.41	5.35	20.55	
ज	वेतन	17.02	15.95	14.38	10.75	10.47	4.41	
झ	पेंशन	19.71	17.87	32.29	16.74	20.62	11.76	

*स्रोत: आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

**गिनी गुणांक जनसंख्या के बीच आय की असमानता की एक माप है। मान की दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है, एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1 एवं 1.2.1; पृष्ठ 1 एवं 6)

भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना	
सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।	
भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।	
भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।	
भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड I	
भाग I - संक्षिप्त विवरण	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण अ. प्रकार्य अनुसार व्यय ब. प्रवृत्ति अनुसार व्यय
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण
विवरण संख्या-6	उधारी एवं अन्य दायित्व का विवरण
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
विवरण संख्या-8	सरकार के निवेशों का विवरण
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण
विवरण संख्या-10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण
विवरण संख्या-11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण संख्या-12	राजस्व लेखा से भिन्न व्यय हेतु निधि का स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
विवरण संख्या-13	संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अधीन शेष का सारांश
खण्ड II	
भाग II - विस्तृत विवरण	
विवरण संख्या-14	लघु शीर्ष से राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-15	लघु शीर्ष से राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-16	लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष से पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-17	लघु शीर्ष से उधारियाँ एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-18	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-19	निवेशों का विस्तृत विवरण

विवरण संख्या-20	सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-22	निवेशों के उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण
भाग III - परिशिष्ट	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-II	सहायिकी पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा प्रदान सहायता (संस्थागत एवं योजनागत)
परिशिष्ट-IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजना स्कीम व्यय (अ. केन्द्रीय स्कीम ब. राज्य स्कीम)
परिशिष्ट-VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का सीधा अंतरण (निधियां राज्य बजट के अन्यत्र मार्ग से अंतरित) (गैर-लेखापरीक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	खाता-बही एवं बड़ा चिद्दा के शेषों/गैर-समाधित अंतरों की स्वीकृति
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माणकार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण लोक निर्माण ठेकों पर वचनबद्धता का विवरण (31 मार्च 2017 को)
परिशिष्ट-X	2016-17 में राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण (31 मार्च 2017 को)
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान भविष्य नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के संबंध में निहितार्थ मुख्य नीति-विषयक निर्णयों का विवरण (31 मार्च 2017 को)
परिशिष्ट-XII	भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों का विवरण
परिशिष्ट-XIII	ऐसे मदों का विवरण जिनके लिए राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेष नियतन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

परिशिष्ट-1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल घरेलू उत्पाद (स रा उ) की प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15*	2015-16*	2016-17*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
स रा घ उ की वृद्धि दर	14.12	13.27	8.29	9.13	10.80

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

* अनन्तितम * त्वरित * अग्रिम

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व})/2]*100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{प्रारम्भिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में एवं चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिसम्बर 2016 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विशेष रूप से राज्य सरकार--

- (क) राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखेगी। किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें 0.25 प्रतिशत की छूट करने के योग्य होगा, यदि पिछले वर्ष ऋण स रा घ उ 25 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ख) इसके साथ-साथ किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें उधारों की सीमा स रा घ उ की 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त करने के योग्य होगा, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ग) छूट प्रावधान के अंतर्गत राज्य द्वारा इन दो विकल्पों का लाभ अलग अलग लिया जा सकता है यदि उपरोक्त मानदंड में से कोई भी पूर्ण होता है या एक साथ भी ले सकता है यदि उपरोक्त दोनों मानदंडों को पूर्ण करता है। इस प्रकार राज्य किसी भी दिये वर्ष में स रा घ उ राजकोषीय घाटा की सीमा 3.5 प्रतिशत रख सकता है।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (ङ) किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल बकाया प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी वर्ष दी जाने वाली नई प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2015-16 (वास्तविक)	2015-16 (बजटीय)	2016-17 (परिशोधित)	2017-18 (परिलक्षित)	2018-19 (परिलक्षित)	2019-20 (परिलक्षित)	2020-21 (परिलक्षित)
अ. राज्य का राजस्व लेखा							
1. स्वयं का कर राजस्व	9,381.94	12,116.67	10,866.99	13,780.28	15,985.12	18,542.74	21,509.58
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	1,219.66	2,793.43	1,315.99	2,468.71	2,715.58	2,987.14	3,285.85
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	10,601.60	14,910.10	12,182.98	16,248.99	18,700.71	21,529.88	24,795.44
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	5,329.04	6,014.46	6,411.63	7,113.48	7,895.96	8,764.52	9,728.62
5. केन्द्रीय सरकार से अनुदान	5,303.79	11,351.31	6,661.29	8,230.61	8,971.36	9,778.79	10,658.88
6. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4+5)	10,632.83	17,365.77	13,072.92	15,344.09	16,867.33	18,543.31	20,387.49
7. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	21,234.43	32,275.87	25,255.90	31,593.08	35,568.03	40,073.19	45,182.93
8. वेतन व्यय	8,685.06	11,752.62	9,736.44	11,859.53	13,045.48	14,350.03	15,785.03
9. पेंशन	2,627.82	3,528.73	3,144.98	4,272.28	4,699.51	5,169.46	5,686.40
10. ब्याज भुगतान	2,971.11	3,896.06	3,414.25	4,409.95	5,033.73	5,719.48	6,482.82
11. उपदान-सामान्य	--	--	--	--	--	--	--
12. उपदान-विद्युत	--	--	--	--	--	--	--
13. ब्याज भुगतान /राजस्व प्राप्ति (10/7)	13.99%	12.07%	13.52%	13.96%	14.15%	14.27%	14.35%
14. कुल राजस्व व्यय	23,086.44	32,250.39	25,297.23	31,550.83	34,705.91	38,176.50	41,994.15
15. वेतन+ब्याज+पेंशन (8+9+10)	14,283.99	19,177.41	16,295.67	20,541.76	22,778.72	25,238.97	27,954.26
16. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (15/7)	67.27	59.42	64.52	65.02	64.04	62.98	61.87
17. राजस्व अधिशेष/घाटा (7-14)	(-),1,852.01	25.48	(-) 41.33	42.25	862.12	1,896.69	3,188.78
ब. समेकित राजस्व लेखा							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	(-),1,852.01	25.48	(-) 41.33	42.25	862.12	1,896.69	3,188.78
स. समेकित ऋण							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व*	35,777.03	40,793.69	40,820.16	46,291.59	53,222.44	60,841.98	69,323.47
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,743.32	1,743.32	1,743.32	1,257.72	1,258.04	1,258.04	1,258.04
द. पूँजीगत लेखा							
1. पूँजीगत परिव्यय	4,217.38	5,744.36	4,414.83	5,514.38	6,892.98	8,616.22	10,770.27
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	83.14	395.22	76.74	252.35	1,000	1,000	1,000
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	27.20	41.13	9.34	253.05	100	100	100
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	6,125.33	6,072.97	4,523.56	5,471.43	6,930.85	7,619.53	8,481.50
य. सकल राजकोषीय घाटा (स रा घ)	6,125.33	6,072.97	4,523.56	5,471.43	6,930.85	7,619.53	8,481.50
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,84,091.3	2,06,182.3	2,06,182.3	2,30,924.2	2,58,635.1	2,89,671.3	3,24,431.8
र. राजकोषीय घाटा:							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.90	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
*इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है।							

परिशिष्ट-1.3
(संदर्भ: प्रस्तर-1.3 एवं 1.9.2, पृष्ठ 7 एवं 26)
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	15,747	17,321	20,247	21,234	24,889
(i) कर राजस्व	6,414(41)	7,356(42)	8,339 (41)	9,377 (44)	10,897 (44)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,289(67)	4,903(67)	5,465(65)	6,105(65)	7,154(66)
राज्य आबकारी	1,118(17)	1,269(17)	1,487(18)	1,735(19)	1,906(18)
वाहनों पर कर	304(5)	369(5)	394(5)	471(5)	556(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	648(10)	687(10)	714(9)	871(9)	778(7)
भू-राजस्व	11(--)	22(--)	39(--)	28(--)	160(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	44(1)	106(1)	240(3)	167(2)	343(3)
(ii) करेत्तर राजस्व	1,603(10)	1,317(8)	1,111(5)	1,220(6)	1,346(5)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	3,273(21)	3,573(21)	3,792(19)	5,333(25)	6,412(26)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	4,457(28)	5,075(29)	7,005(35)	5,304(25)	6,234(25)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	180	135	--	--
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	428	55	46	27	35
4. कुल राजस्व एवं ऋणेततर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	16,175	17,556	20,428	21,261	24,924
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,968	3,873	4,573	6,798	6,501
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,933(99)	3838(99)	4,512(99)	6,701(99)	6,355
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	35(1)	35(1)	61(1)	97(1)	146
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	19,143	21,429	25,001	28,059	31,425
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	32	412	332	191	395
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	21,925	25,954	35,032	37,746	27855
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	41,100	47,795	60,365	65,996	59,675
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13,960	16,216	21,164	23,086	25,272
आयोजनागत	2,427(17)	2,767(17)	5,632 (27)	6,388 (28)	6,344 (25)
आयोजनेत्तर	11,533(83)	13,449(83)	15,532 (73)	16,698 (72)	18,928 (75)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	5,372(38)	6,182(38)	7,402 (35)	8,410 (37)	9,934 (39)
सामाजिक सेवायें	6,096(44)	7,298(45)	9,224 (44)	9,927 (43)	10,529 (42)
आर्थिक सेवायें	1,995(14)	2,068(13)	3,857 (18)	3,983 (17)	3,903 (15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	497(4)	668(4)	681 (3)	766 (3)	906 (4)
11. पूँजीगत व्यय	3,542	3,712	4,939	4,217	4,954
आयोजनागत	2,972(84)	3,138(85)	4,780 (97)	4,197 (100)	4,076 (82)
आयोजनेत्तर	570(16)	574(15)	159 (3)	20 (--)	878 (18)
सामान्य सेवायें	129(4)	138(4)	214 (4)	111 (3)	72 (1)
सामाजिक सेवायें	715(20)	841(22)	1,231 (25)	864 (20)	948 (19)
आर्थिक सेवायें	2,698(76)	2,733(74)	3,494 (71)	3,242 (77)	3,934 (80)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	273	278	151	83	165
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	17,775	20,206	26,254	27,386	30,391

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,472	1,317	894	1,997	1,128
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,412	1,266	866	1,966	1,093
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	31	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	29	51	28	31	35
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	400	150	--	--
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	19,247	21,923	27,298	29,383	31,519
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	32	194	194	385	228
18. लोक लेखा संवितरण	20,961	25,190	33,535	36,537	26,607
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	40,240	47,307	61,027	66,305	58,354
भाग स. घाटा आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)1,787	(+)1,105	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	1,600	2,650	5,826	6,125	5,467
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)	(+)489	(-)594	(-) 3,420	(-) 3,154	(-) 1,744
भाग द. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,089	2,056	2,406	2,971	3,723
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,132	2,327	3,515	3,596	3,850
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	2	16	12	9	90
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.01	0.09	0.13	0.19	3.84
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ 3) [@]	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	25,540	28,767	33,480	39,069	44,583
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,570	1,475	1,832	1,743	1,258
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,722	2,513	2,951	2,805	2,805
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	192	96	141	182	297
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	95	266	155.71	582.13	1,007.56
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ 3	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
स्वयं का करेत्तर राजस्व /स रा घ 3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ 3	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ 3	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	1.13	1.17	1.30	1.29	1.22
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.79	0.80	0.81	0.84	0.83

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.26	0.24	0.28	0.26	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.20	0.18	0.19	0.15	0.16
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.19	0.18	0.18	0.15	0.16
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	0.014	0.007	(-) 0.006	(-) 0.011	(-) 0.002
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	(-) 0.012	(-) 0.018	(-) 0.036	(-) 0.035	(-) 0.028
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	0.004	(-) 0.004	(-) 0.021	(-) 0.018	(-) 0.009
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(-) 1.117	(-) 0.417	(+) 0.157	(+) 0.302	(+) 0.070
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.001	(-) 0.006	(-) 0.020	(-) 0.027	(-) 0.021
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.19	0.19	0.21	0.22	0.23
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.62	1.66	1.65	1.84	1.79
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति (प्रतिशत में)	49.60	34.00	19.55	29.38	17.35
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.19	0.30	0.11	5.10	15.21
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(+)775	(-)223	(-)1,347	(+)325	(+)611
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.90	0.95	0.93	0.90	0.96

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

परिशिष्ट-1.4

भाग अ

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 26)

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2015-16		2016-17		विविध मद	2015-16	2016-17			
	1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
खण्ड-अ राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		21,234.43		24,888.97	I-राजस्व व्यय	23,086.44	18,927.54	6,343.96	25,271.50	25,271.50
(i) कर राजस्व	9,377.79		10,897.31		सामान्य सेवायें	8,409.98	9923.93	10.16	9,934.09	
(ii) करेतर राजस्व	1,219.66		1,345.82		सामाजिक सेवायें	9,926.69	5873.53	4655.04	10,528.57	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	5,333.19		6,411.57		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	4,931.84	4305.70	1060.48	5,366.18	
(iv) आयोजनेतर अनुदान	1,042.85		823.72		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,323.46	732.61	657.57	1,390.18	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,173.29		1,532.33		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	707.01	230.36	599.57	829.93	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधमित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	3,087.65		3,878.22		सूचना एवं प्रसारण	42.95	67.21	30.95	98.16	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	215.55	52.08	111.32	163.40	
					श्रम तथा श्रमिक कल्याण	92.25	80.73	36.67	117.40	
					समाज कल्याण एवं पोषण	2,580.10	402.42	2120.36	2,522.78	
					अन्य	33.53	2.42	38.12	40.54	
					आर्थिक सेवायें	3,983.21	2,223.90	1,678.76	3,902.66	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,586.09	1199.95	574.63	1,774.58	
					ग्राम्य विकास	1,614.10	309.21	938.58	1,247.79	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	358.46	360.22	--	360.22	
					ऊर्जा	18.99	4.39	13.81	18.20	
					उद्योग एवं खनिज	68.18	39.70	53.55	93.25	
					परिवहन	214.42	273.52	41.29	314.81	
					विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण	46.05	1.07	18.71	19.78	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	76.92	35.84	38.19	74.03	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	766.56	906.18	--	906.18	
योग		21,234.43		24,888.97	योग	23,086.44	18,927.54	6,343.96	25,271.50	25,271.50
II राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तर्गत		1,852.01		382.53	II- राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तर्गत					
योग		23,086.44		25,271.50	योग	23,086.44	18,927.54	6,343.96	25,271.50	25,271.50
III स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		1,772.03		1,464.88#	III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	--				--
IV विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--			--	IV- पूँजीगत परिव्यय	4,217.38	878.27	4,075.95	4,954.22	4,954.22
					सामान्य सेवायें	111.09	0.98	71.41	72.39	
					सामाजिक सेवायें	864.03	1.13	946.48	947.61	
					शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	253.67	1.13	433.47	434.60	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	141.16	--	115.97	115.97	

वित्त लेखे 2016-17 में प्रोफॉर्मा सुधार किए जाने के कारण 2015-16 के अन्त शेष से भिन्न है।

प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2015-16		2016-17		विविध मद	2015-16	2016-17			
	2.	3.	4.	5.			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	425.92	--	356.67	356.67	
					सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	25.84	--	8.26	8.26	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	4.98	--	17.70	17.70	
					अन्य सामाजिक सेवायें	12.46	--	14.41	14.41	
					आर्थिक सेवायें	3,242.26	876.16	3,058.06	3,934.22	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	102.66	739.73	113.26	852.99	
					ग्राम्य विकास	820.65	--	841.50	841.50	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	706.89	0.02	465.43	465.45	
					ऊर्जा	57.35	--	132.00	132.00	
					उद्योग एवं खनिज	60.52	136.41	2.22	138.63	
					परिवहन	1,400.26	--	1,385.39	1,385.39	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	93.93	--	118.26	118.26	
					योग	4,217.38	878.27	4,075.95	4,954.22	
V ऋण एवं अग्रिमों की वसूतियाँ		27.20		34.85	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	83.15	99.10	65.95	165.05	165.05
विद्युत परियोजनाओं से	23.65		31.05		विद्युत परियोजनाओं के लिए	78.19	--	55.42		
सरकारी कर्मचारियों से	2.66		2.15		सरकारी कर्मचारियों को	0.94	0.59	--		
अन्य से	0.90		1.65		अन्य को	4.01	98.51	10.53		
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया					VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	1,852.01				382.53
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		6,798.23		6,500.67	VII- लोक ऋण का पुनर्भूगतान	1,996.56				1,127.40
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	6,701.22		6,355.23		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	1,965.59			1,092.67	
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	--	--
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.01		145.44		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भूगतान	30.97			34.73	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग		--		--	VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग					--
IX- आकस्मिकता निधि में अन्तर्गत राशि		190.76		394.77	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	385.46			227.70	227.70
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		37,745.87		27,855.02	X- लोक लेखा संवितरण	36,536.73			26,607.34	26,607.34
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,513.13		1528.82		लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,035.39			1,116.13	
आरक्षित निधियाँ	332.46		280.00		आरक्षित निधियाँ	149.09			356.63	
जमा एवं अग्रिम	3,798.92		3,276.70		जमा एवं अग्रिम	3,660.57			3,412.01	
उचत एवं विविध	27,622.77		29,078.90		उचत एवं विविध	27,246.38			28,028.62	
प्रेषण	4,478.59		(-)6,309.40		प्रेषण	4,445.30			(-)6,306.05	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट					XI-अन्त में रोकड़ शेष	1,462.80			2,785.95	2,785.95
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		--	--	--	--

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2015-16		2016-17		विविध मद	2015-16	2016-17			
	2.	3.	4.	5.			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
1.					6.	7.	8.	9.	10.	11.
					स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-)14.40	--	--	(-) 11.83	
					रिजर्व बैंक में जमा	3.84	--	--	1,157.65	
					रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1,473.36	--	--	1,640.13	
योग		46,534.09		36,250.19	योग	46,534.09				36,250.19

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्त-1.9.1; पृष्ठ 26)

31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 को	दायित्व	31.03.2017 को
29,292.48	आन्तरिक ऋण	34,555.05
15,751.40	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	20,832.21
0.11	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.07
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
13,539.47	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,721.27
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
543.84	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	654.54
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
5.00	आयोजनेत्तर ऋण	4.52
538.31	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	649.49
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
--	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
750.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	750.00
12.31	उचंत एवं विविध व्यय	1,058.71
5,940.72	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	6,390.16
2,760.97	जमा	2,626.08
1,622.09	आरक्षित निधियाँ	1,545.46
--	प्रेषण शेष	--
40,922.41	योग	47,580.00

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2016 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2017 को
32,990.39	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	40,274.30
2,914.41	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,123.74
30,075.98	अन्य पूँजीगत परिव्यय	37,150.56
1,102.30	ऋण एवं अग्रिम	1,726.65
108.03	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	132.41
1,004.73	अन्य विकास ऋण	1,606.16
(-)10.46	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 11.92
486.51	आकस्मिकता निधि को विनियोग	319.45
641.41	प्रेषण	644.76
--	उचंत एवं विविध शेष	--
	विभागीय अधिकारी के अग्रिम	0.42
1,462.80	रोकड़	2,785.95
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
3.84	रिजर्व बैंक में जमा	1,157.65
(-) 13.56	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 11.02
(-) 0.84	स्थायी अग्रिम	(-) 0.81
1,473.36	रोकड़ शेष निवेश	1,640.13
4,239.00	सरकारी लेखों में घाटा	1,828.47
	घटाये (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनिर्धारित शेषों के बटवारे के कारण प्रोफॉर्मा में बदलाव)	2,793.06
	i. घटायें -चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को	
1,852.01	ii. जोड़े -चालू वर्ष के राजस्व घाटा को	382.53
--	iii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--
--	iv. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	--
2,387.01	v. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	4,239.00
(-)0.02	vi. विगत अवधि का संसोधन वित्त लेखे के अनुसार संचित घाटे के समासोधन हेतु	
40,922.41	योग	47,580.00

परिशिष्ट-1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। **परिशिष्ट-1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्त योग्य मदें या मूल्य हास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। “रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 1,152.34 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर-1.8.3; पृष्ठ 23)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / वाणिज्यिकवत उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	माध्य सरकारी पूँजी	मूल्यहासित लागत पर अवरुद्ध परिसंपत्तियां	वर्ष के दौरान उपबंधित मूल्यहास	आवर्त	कुल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खंड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2 (अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	-	22.33	25.16	2,09,91.81	(-)1,07,91.29	-	(-) 1,07,91.29	-
2 (ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	-	13.00	1.37	1,42,97.23	(-) 27,86.73	-	(-) 27,86.73	-

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 41)

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
पूँजीगत (भारित)						
1.	07	वित्त, कर, आयोजनगत सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	20,32.23	52,18.68	31,86.45	1,56.80
पूँजीगत (दत्तमत)						
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1,08.33	1,24.41	16.08	14.84
2.	25	खाद्य	12.07	22,57.87	22,45.80	1,86,06.46
3.	29	उद्यान विकास	00	9.00	9.00	अगणनीय
योग			21,52.63	76,09.96	54,57.33	2,53.52

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.5; पृष्ठ 42)

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान (पूँजीगत - दत्तमत)	98.33	10.00	1,08.33	1,24.41	16.08
2.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	12.04	0.03	12.07	22,57.87	22,45.80
योग			1,10.37	10.03	1,20.40	23,82.28	22,61.88

परिशिष्ट-2.3
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 42)
व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय (अप्रैल से मार्च 2017)	निम्न माह के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2017	मार्च 2017
1.	2015	41.09	28.52	56.76	72.39	50.25
2.	2030	12.38	8.88	23.56	52.55	37.69
3.	2040	1,02.59	91.05	1,86.48	55.01	48.83
4.	2048	60.00	0.00	60.00	100.00	0.00
5.	2049	19,01.44	13,98.13	37,23.05	51.07	37.55
6.	2205	8.46	5.52	21.15	40.00	26.10
7.	2215	2,21.75	1,98.11	5,98.64	37.04	33.09
8.	2216	2.70	2.29	2.96	91.22	77.36
9.	2225	57.30	41.99	1,63.40	35.07	25.70
10.	2235	6,21.05	4,38.48	12,97.35	47.87	33.80
11.	2250	17.51	16.51	39.81	43.98	41.47
12.	2405	9.56	7.44	16.19	59.05	45.95
13.	2408	1,75.21	1,71.51	1,97.71	88.62	86.75
14.	2425	15.60	12.58	36.85	42.33	34.14
15.	2701	7.40	4.07	10.57	70.01	38.51
16.	2702	44.24	22.64	81.25	54.45	27.86
17.	2711	3.42	2.57	4.56	75.00	56.36
18.	2851	26.36	21.96	82.08	32.12	26.75
19.	3053	9.00	8.84	25.86	34.80	34.18
20.	3054	1,48.20	1,23.97	2,61.61	56.65	47.39
21.	3452	20.10	14.80	40.79	49.28	36.28
22.	4058	0.21	0.21	0.21	100.00	100.00
23.	4059	28.66	25.40	69.80	41.06	36.39
24.	4210	41.33	31.00	1,15.91	35.66	26.74
25.	4211	0.06	0.06	0.06	100.00	100.00
26.	4216	16.98	14.21	33.42	50.81	42.52
27.	4217	70.56	70.56	1,10.48	63.87	63.87
28.	4235	16.89	0.00	17.70	95.42	0.00
29.	4401	8.73	7.44	7.21	1,21.08	1,03.19
30.	4405	5.14	5.14	5.19	99.04	99.04
31.	4406	80.40	28.22	1,00.94	79.65	27.96
32.	4700	82.22	71.88	2,05.26	40.06	35.02
33.	4801	42.00	42.00	1,32.00	31.82	31.82
34.	4859	1.03	1.03	2.22	46.40	46.40
35.	5053	9.38	9.38	9.57	98.01	98.01
36.	5452	74.91	44.19	1,18.26	63.34	37.37
योग		39,83.86	29,70.58	78,58.86	50.69	37.80

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.1; पृष्ठ 43)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01-विधायिका	34.50	31.75	2.75	0.80
2.	04-न्यायिक प्रशासन	1,69.55	1,22.58	46.97	7.71
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	26,63.58	15,81.83	10,81.75	2,03.23
4.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	59,36.34	49,18.03	10,18.31	2.22
5.	10-पुलिस एवं कारागार	15,75.88	14,40.06	1,35.82	13.96
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	64,20.74	52,00.75	12,19.99	93.19
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17,64.16	13,23.63	4,40.53	11.78
8.	13- जल आपूर्ति, आवासीय एवं शहरी विकास	10,83.09	7,44.80	3,38.29	78.01
9.	15-कल्याण	14,61.33	11,58.55	3,02.78	2,01.88
10.	16-श्रम एवं रोजगार	2,14.03	1,47.37	66.66	5.71
11.	17- कृषि कार्य एवं अनुशंधान	8,27.71	6,41.86	1,85.85	66.17
12.	18- सह-कारिता	47.92	33.23	14.69	2.00
13.	19-ग्रामीण विकास	11,12.82	6,32.34	4,80.48	5.18
14.	22- लोक निर्माण	6,91.70	6,46.01	45.69	15.96
15.	23- उद्योग	2,09.48	1,24.18	85.30	21.10
16.	24-परिवहन	64.16	53.57	10.59	1.10
17.	25- खाद्य	3,47.27	2,05.60	1,41.67	30.00
18.	26- पर्यटन	58.55	39.99	18.56	0.13
19.	27- वन	6,46.38	4,38.31	2,08.07	2.00
20.	28-पशुपालन	2,58.99	2,03.81	55.18	18.70
21.	29-उद्यान विकास	2,53.14	2,10.21	42.93	6.54
22.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	12,28.68	6,98.90	5,29.78	12.43
23.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	3,40.89	2,06.34	1,34.55	3.60
कुल राजस्व (दत्तमत)		2,74,10.89	2,08,03.70	66,07.19	8,03.40
ख - राजस्व (प्रभारित)					
1.	02 राज्यपाल	8.92	7.44	1.48	3.33
2.	09 लोक सेवा आयोग	23.42	19.48	3.94	5.55
3.	22- लोक निर्माण	7.30	6.02	1.28	0.10
कुल राजस्व (प्रभारित)		39.64	32.94	6.70	8.98
ग-पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	01-विधानमण्डल	15.20	10.27	4.93	5.00
2.	04- न्यायिक प्रशासन	47.00	9.34	37.66	1.00
3.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	80.70	7.09	73.61	1.00
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ	88.13	83.60	4.53	3,06.00
5.	10- पुलिस एवं जेल	20.00	6.88	13.12	4.00
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	4,99.06	4,06.33	92.73	60.00
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	3,78.79	3,09.87	68.92	1,05.53

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

8.	20-सिचाई एवं बाढ़	7,69.88	4,76.41	2,93.47	2.80
9.	22- लोक निर्माण	16,14.57	13,56.02	2,58.55	65.00
10.	23- उद्योग	1,46.76	1,38.85	7.91	26.75
11.	24-परिवहन	60.00	25.59	34.41	10.00
12.	26- पर्यटन	1,87.80	1,18.26	69.54	2.10
13.	27- वन	1,55.15	1,00.69	54.46	10.00
14.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,23.23	2,07.28	1,15.95	2.00
15.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,14.12	59.27	54.85	5.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		45,00.39	33,15.75	11,84.64	6,06.18
महा योग		3,19,50.92	2,41,52.39	77,98.53	14,18.56

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.2; पृष्ठ 43)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	दत्तमत / भारित	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	03	मंत्री परिषद	राजस्व-दत्तमत	2013-00-104-03	(+)1,25.00	(-)59.98
			राजस्व-दत्तमत	2013-00-108-03	(-)1,25.00	(-)22.68
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	2029-00-103-03	(-)23.80	(-)58,81.60
			राजस्व-दत्तमत	2053-00-094-03	(+)18.00	(-)32.09
			राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-03	(+)33.33	(-)12,99.19
			राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-11	(-)33.33	(-)45.33
			राजस्व-दत्तमत	2245-80-800-03	(-)60.00	(-)66,73.54
			राजस्व-दत्तमत	2245-80-800-08	(+)60.00	(-)36.84
3.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ	राजस्व-दत्तमत	2030-01-102-03	(-)15.00	(-)62.47
			राजस्व-दत्तमत	2030-02-102-03	(-)35.00	(-)63.93
			राजस्व-दत्तमत	2030-03-001-04	(+)51.00	(-)1,86.15
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-001-03	(-)23.00	(-)4,42.34
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-101-03	(-)1,88.00	(-)11,86.11
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-097-03	(-)34.06	(-)17,66.57
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-097-04	(+)6.50	(-)28.54
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-191-01	(+)10,50.00	(+)2,73.90
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-191-03	(-)7,00.00	(-)15,66.44
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-192-01	(-)9,00.00	(-)38,00.78
			राजस्व-दत्तमत	3604-02-196-03	(-)29,10.49	(-)20,60.41
			राजस्व-दत्तमत	3604-02-198-01	(+)34,60.49	(-)71,52.49
			पूँजीगत-दत्तमत	4216-02-800-03	(+)5,00.00	(-)46.83
4.	10	पुलिस एवं जेल	राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-03	(-)4,99.64	(-)1,00.00
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-03	(-)9,71.17	(-)34.44
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-04	(-)3,84.33	(-)16.48
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-03	(+)9,22.95	(-)1,14.06
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-03	(-)30,89.44	(-)5,86.51
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-800-04	(-)8,35.83	(-)37.20
			राजस्व-दत्तमत	2056-00-001-03	(+)78.00	(-)29,36.50
राजस्व-दत्तमत	2056-00-001-04	(-)78.00	(-)1,05.64			
5.	11	शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-05	(+)34,11.85	(-)17,06.93
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-07	(+)5,98.14	(-)75.66
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-09	(+)37,64.13	(-)11,25.98
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-16	(-)77,74.12	(-)19,14.31
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-110-04	(-)14.89	(-)4,01.12
राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-04	(-)92.80	(-)86.29			

			राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-08	(+)1,92.79	(-)1,63.40
			राजस्व-दत्तमत	2202-80-800-04	(+)14.89	(-)2,57.04
			राजस्व-दत्तमत	2204-00-104-10	(-)33.00	(-)20.91
			राजस्व-दत्तमत	2205-00-001-03	(+)5.00	(-)32.47
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-01-202-01	(-)12,01.94	(-)37,32.70
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-01-202-11	(+)5,00.00	(-)3,74.21
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-03-102-01	(-)52,09.48	(-)12,94.53
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-03-102-26	(-)10,00.00	(-)16,66.79
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2210-01-001-03	(+)1,00.00	(-)3,30.24
			राजस्व-दत्तमत	2210-01-110-03	(+)8,09.93	(-)32,12.67
			राजस्व-दत्तमत	2210-01-110-11	(+)1.00	(-)42.00
			राजस्व-दत्तमत	2210-01-110-16	(+)0.30	(-)21.26
			राजस्व-दत्तमत	2210-01-110-18	(+)20.00	(-)5,37.32
			राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-11	(+)24.74	(+)20,01.66
			राजस्व-दत्तमत	2210-02-102-04	(+)6.55	(-)75.53
			राजस्व-दत्तमत	2210-03-103-03	(-)1,00.00	(-)9,32.83
			राजस्व-दत्तमत	2210-04-102-03	(-)6.55	(-)1,40.26
			राजस्व-दत्तमत	2210-05-101-06	(-)24.74	(-)20,01.66
			राजस्व-दत्तमत	2210-06-101-03	(-)8,29.93	(-)33,96.08
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-25	(-)22.99	(-)77.01
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-02-110-07	(-)1,80.00	(+)80.00
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-02-800-03	(+)50.00	(+)39.90
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-02-800-04	(-)50.00	(+)50.00
7.	13	जल आपूर्ति, आवासीय एवं शहरी विकास	राजस्व-दत्तमत	2215-01-101-01	(-)41.11	(-)2,62.12
8.	15	कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2235-02-101-20	(-)1,56.06	(-)31,03.07
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-102-04	(-)0.22	(-)28.57
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-102-05	(+)3.22	(-)46.96
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-102-07	(-)1.60	(-)2,82.13
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-103-09	(-)0.80	(-)12.20
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-103-19	(-)0.60	(-)46.42
			राजस्व-दत्तमत	2250-00-800-01	(-)3,68.25	(-)10,26.14
			राजस्व-दत्तमत	2250-00-800-05	(+)3,68.25	(-)4,10.00
9.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व-दत्तमत	2401-00-102-06	(-)52.08	(-)1,25.96
			राजस्व-दत्तमत	2401-00-800-01	(-)8,93.34	(-)1,15,38.37
			राजस्व-दत्तमत	2401-00-800-97	(+)7,90.22	(-)12,42.92
10.	19	ग्रामीण विकास	राजस्व-दत्तमत	2515-00-102-12	(-)1,00.00	(-)2,00.00
			राजस्व-दत्तमत	2515-00-102-31	(-)5,00.00	(-)10,00.00
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व-दत्तमत	2700-00-001-03	(+)9.00	(-)8,11.93
			राजस्व-दत्तमत	2700-00-001-04	(-)9.00	(-)68,61.51
12.	22	लोक निर्माण	राजस्व-दत्तमत	2059-80-001-03	(+)39.00	(+)1,80.63
			राजस्व-दत्तमत	2059-80-001-05	(-)6,43.50	(-)3,32.13
			राजस्व-दत्तमत	2059-80-051-03	(+)6,04.50	(-)47,90.38
			पूँजीगत-दत्तमत	5054-04-800-01	(+)60,00.00	(-)16,41.96

			पूँजीगत-दत्तमत	5054-04-800-03	(+)15,00.00	(-)1,50,33.93
			पूँजीगत-दत्तमत	5054-04-800-97	(-)15,00.00	(-)1,32,52.89
			पूँजीगत-दत्तमत	5054-05-800-02	(-)60,00.00	(-)40,00.01
13.	23	उद्योग	राजस्व-दत्तमत	2058-00-001-03	(-)12.56	(-)2,47.48
			राजस्व-दत्तमत	2851-00-102-03	(-)3,20.00	(-)4,42.99
			राजस्व-दत्तमत	2851-00-102-35	(-)65.00	(-)1,35.00
14.	24	परिवहन	राजस्व-दत्तमत	3055-00-001-03	(+)12.00	(-)8,15.93
			राजस्व-दत्तमत	3055-00-190-07	(-)1.00	(-)1,04.00
15.	25	भोजन	राजस्व-दत्तमत	2408-01-102-06	(+)50,00.00	(-)1,63.44
16.	27	वन	राजस्व-दत्तमत	2406-00-101-01	(-)3,72.35	(-)67,55.67
			राजस्व-दत्तमत	2406-01-800-03	(+)14,09.00	(-)13,86.91
			राजस्व-दत्तमत	2406-02-110-01	(+)4,36.11	(-)3,72.61
			राजस्व-दत्तमत	2406-02-110-07	(-)14,72.76	(-)5,27.24
17.	28	पशुपालन	राजस्व-दत्तमत	2403-00-102-08	(-)61.84	(-)90.71
18.	29	उद्यान विकास	राजस्व-दत्तमत	2401-00-119-03	(+)1,64.87	(-)20,91.54
			राजस्व-दत्तमत	2401-00-119-22	(-)1,54.00	(-)36.25
			राजस्व-दत्तमत	2401-00-119-26	(+)1,70.84	(-)1,50.00
			राजस्व-दत्तमत	2401-00-119-28	(-)36.00	(-)2,63.82
19.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2225-01-001-06	(-)0.38	(+)24.40
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-277-06	(+)11.90	(-)2,42.70
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-277-12	(-)4.85	(-)58.93
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-277-13	(-)66.17	(-)39,89.83
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-277-16	(-)1,10.33	(-)26,67.50
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-277-18	(+)66.17	(-)27.07
			राजस्व-दत्तमत	2225-01-800-15	(-)2,64.00	(-)1,36.00
			राजस्व-दत्तमत	2235-60-102-02	(+)2,64.00	(-)1,15.34
			राजस्व-दत्तमत	2501-01-800-01	(+)4.49	(-)8,23.57
20.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2501-01-800-02	(-)4.49	(-)66,07.77
			राजस्व-दत्तमत	2225-02-277-07	(+)2,50.00	(+)1,42.09
			राजस्व-दत्तमत	2235-02-796-08	(+)64.90	(-)55.84
			राजस्व-दत्तमत	2501-01-796-01	(-)1,10.39	(-)13,04.60

परिशिष्ट-2.6 (अ)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.3; पृष्ठ 43)

वर्ष 2016-17 के दौरान दत्तमत अनुदान से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण का प्रतिशतता
1.	01-विधानमण्डल	4059-80-800-04	20,00.00	10,00.00	50.00
2.	02-राज्यपाल	2012-03-090-03	7,22.41	2,97.96	41.25
		2012-03-101-03	14.20	6.40	45.07
		2012-03-103-03	2,80.82	1,18.81	42.31
		2012-03-105-03	69.95	35.42	50.64
		2012-03-108-03	11.00	3.42	31.09
		2012-03-800-04	36.53	17.85	48.86
		2012-03-800-05	0.10	0.10	100.00
		2012-03-800-06	0.10	0.10	100.00
3.	04 न्यायिक प्रशासन	2014-00-102-03	2,78.00	2,37.89	85.57
		2014-00-105-04	6,50.80	2,39.91	36.86
		2014-00-105-05	60.00	60.00	100.00
		2014-00-105-06	67.70	33.71	49.79
		2014-00-800-05	2,24.70	77.69	34.57
		2014-00-800-06	5,97.25	2,54.24	42.57
		2014-00-800-07	24.60	10.00	40.65
		2014-00-800-08	1,20.00	1,05.26	87.72
		2014-00-800-09	4,56.46	2,21.49	48.52
		2014-00-800-10	1,35.71	1,35.71	100.00
		2014-00-800-12	10.00	10.00	100.00
		4059-60-051-01	30,00.01	30,00.01	100.00
		4059-60-051-03	0.01	0.01	100.00
		4059-60-051-04	2,00.00	2,00.00	100.00
		4059-60-051-05	16,00.00	6,43.80	40.24
4.	05-चुनाव	2015-00-105-03	0.10	0.10	100.00
		2015-00-105-04	0.10	0.10	100.00
		2015-00-106-05	0.07	0.07	100.00
5.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2052-00-090-12	72.55	31.08	42.84
		2052-00-091-04	1,02.20	46.79	45.78
		2052-00-091-09	17.05	13.13	77.01
		2052-00-091-10	2,22.34	1,21.06	54.45
		2052-00-091-11	12.25	10.44	85.22
		3451-00-092-01	0.01	0.01	100.00
		3451-00-092-03	4,34.92	1,32.27	30.41
		3451-00-092-04	2,00.00	1,54.29	77.15
		3451-00-092-06	1,00.00	66.67	66.67
		3451-00-092-07	80.00	80.00	100.00
		3454-02-001-01	8,19.21	6,36.22	77.66
		3454-02-001-03	20,93.51	7,42.16	35.45

6.	10- पुलिस एवं जेल	2055-00-800-03	11,57.60	5,51.71	47.66
		2055-00-800-11	23.75	8.66	36.46
		2055-00-800-16	1,92.30	91.46	47.56
		2055-00-800-27	10.00	10.00	100.00
		4055-00-211-03	3,00.00	2,00.00	66.67
		4055-00-211-08	2,00.00	2,00.00	100.00
7.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-05-102-04	1,15.00	80.00	69.57
		2202-05-102-13	60.00	32.00	53.33
		2202-05-102-15	54.60	40.60	74.36
		2202-05-102-18	55.00	52.00	94.55
		2202-05-103-03	2,19.60	75.64	34.44
		2202-05-103-06	80.30	43.83	54.58
		4202-01-203-16	1,00.00	1,00.00	100.00
		4202-01-205-04	50.00	50.00	100.00
8.	15-कल्याण	2235-02-102-01	2,48,92.08	79,15.24	31.80
		2235-02-102-09	3.78	3.78	100.00
		2235-02-102-11	10.00	10.00	100.00
		2235-02-102-14	12.00	5.58	46.50
		2235-02-102-15	1,14.20	67.27	58.91
		2235-02-102-16	4,00.00	3,84.06	96.02
		2235-02-103-01	3,00.00	1,58.39	52.80
		2235-02-103-10	1,62.32	56.29	34.68
		2235-02-103-18	25.00	10.31	41.24
		2235-02-103-23	1,00.00	53.17	53.17
		2235-02-103-26	38.06	12.30	32.32
		2235-60-107-03	15,00.00	5,68.65	37.91
		2251-00-092-04	7.00	4.20	60.00
		2251-00-092-05	30.00	29.94	99.80
		2251-00-092-08	4.50	3.14	69.78
9.	16-श्रम एवं रोजगार	2230-02-001-03	10,96.10	4,19.25	38.25
		2230-02-800-03	2,52.65	1,24.27	49.19
10.	20- सिंचाई एवं बाढ़	2702-80-052-03	7.00	7.00	100.00
		2702-80-800-01	0.01	0.01	100.00
		4702-00-800-01	1,50,03.00	80,53.36	53.68
11.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-16	13.50	11.02	81.63
12.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2230-02-800-02	1,00.10	51.87	51.82
		2235-02-102-02	55,08.57	26,43.07	47.98
		4702-00-800-01	22,00.00	15,23.16	69.23
		4702-00-800-02	2,00.00	1,71.97	85.99
10.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2230-02-796-01	1,20.20	62.36	51.88
		2235-02-796-01	11,61.65	4,31.19	37.12
		4702-00-796-05	27.50	27.50	100.00
		4702-00-800-01	9,30.00	5,54.99	59.68
योग			7,15,52.03	3,36,43.41	47.02

परिशिष्ट-2.6 (ब)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.3; पृष्ठ 43)

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विनियोग की संख्या व नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण का प्रतिशतता
1.	04-न्यायिक प्रशासन	2014-00-102-03	52,21.50	26,13.06	50.04
योग			52,21.50	26,13.06	50.04

परिशिष्ट-2.7
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.4; पृष्ठ 43)
वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
1. राजस्व दत्तमत					
	05-चुनाव	65.87	9.11	9.18	0.07
2. राजस्व प्रभारित					
	01-विधानमण्डल	1.47	0.22	0.28	0.06
3. पूँजीगत दत्तमत					
	01-विधानमण्डल	20.20	9.93	10.02	0.09
योग		87.54	19.26	19.48	0.22

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.5; पृष्ठ 44)

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
1.	03	मंत्री परिषद (राजस्व-दत्तमत)	84.58	67.03	17.55
		मंत्री परिषद (पूँजीगत- दत्तमत)	1,00.00	18.69	81.31
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	28,66.81	15,81.83	12,84.98
		राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूँजीगत- दत्तमत)	81.70	7.09	74.61
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ (राजस्व - भारित)	40,10.56	37,83.87	2,26.69
4.	08.	आबकारी (राजस्व-दत्तमत)	23.92	18.79	5.13
5.	09.	लोक सेवा आयोग (राजस्व -भारित)	28.97	19.48	9.49
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	17,75.94	13,23.63	4,52.31
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	1,48.25	1,15.97	32.28
7.	13	जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (राजस्व- दत्तमत)	11,61.10	7,44.80	4,16.30
		जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	4,84.32	3,09.87	1,74.45
8.	18	सहकारी (राजस्व-दत्तमत)	49.92	33.23	16.69
		सहकारी (पूँजीगत -दत्तमत)	6.95	1.75	5.20
9.	19	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	11,17.99	6,32.34	4,85.65
		ग्रामीण विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	7,72.10	7,01.85	70.25
10.	21	ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	4,80.64	1,66.59	3,14.05
11.	22	लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	7,07.66	6,46.01	61.65
		लोक निर्माण (पूँजीगत -दत्तमत)	16,79.57	13,56.02	3,23.55
12.	23	उद्योग (राजस्व-दत्तमत)	2,30.58	1,24.18	1,06.40
		उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	1,73.51	1,38.85	34.66
13.	24	परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	65.26	53.57	11.69
		परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	70.00	25.59	44.41
14.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	3,77.27	2,05.60	1,71.67
15.	26	पर्यटन (राजस्व -दत्तमत)	58.68	39.99	18.69
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	1,89.90	1,18.26	71.64
16.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	6,48.38	4,38.31	2,10.07
		वन (पूँजीगत-दत्तमत)	1,65.15	1,00.69	64.46
योग			1,75,59.71	1,27,73.88	47,85.83

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.5; पृष्ठ 44)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
राजस्व -दत्तमत				
1.	01-विधायिका	3.55	3.36	0.19
2.	03-मंत्री परिषद	17.55	0.00	17.55
3.	04-न्यायिक प्रशासन	54.67	54.14	0.53
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	12,84.98	0.00	12,84.98
5.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	10,20.53	20.85	9,99.68
6.	08- आबकारी	5.13	0.00	5.13
7.	09-लोक सेवा आयोग	2.94	0.00	2.94
8.	10- पुलिस एवं कारागार	1,49.77	1,06.07	43.70
9.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	13,13.18	7.67	13,05.51
10.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,52.31	0.00	4,52.31
11.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,16.29	0.00	4,16.29
12.	14- सूचना	4.76	0.00	4.76
13.	15-कल्याण	5,04.66	1,45.56	3,59.10
14.	16-श्रम एवं रोजगार	72.37	5.53	66.84
15.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2,52.03	25.01	2,27.02
16.	18-सहकारी	16.69	0.00	16.69
17.	19-ग्रामीण विकास	4,85.65	0.00	4,85.65
18.	20-सिंचाई एवं बाढ़	1,00.57	4.81	95.76
19.	22-लोक निर्माण	61.65	0.00	61.65
20.	23- उद्योग	1,06.40	0.00	1,06.40
21.	24-परिवहन	11.69	0.00	11.69
22.	25- खाद्य	1,71.66	0.00	1,71.66
23.	26- पर्यटन	18.69	0.00	18.69
24.	27- वन	2,10.08	0.00	2,10.08
25.	28-पशुपालन	73.87	30.63	43.24
26.	29-उद्यान विकास	49.46	2.13	47.33
27.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,42.21	28.31	5,13.90
28.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,38.15	6.76	1,31.39
योग		75,41.49	4,40.83	71,00.66
राजस्व प्रभारित				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	28.12	26.13	1.99
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,26.69	0.00	2,26.69
3.	09-लोक सेवा आयोग	9.49	0.00	9.49
4.	22-लोक निर्माण	1.38	0.00	1.38
योग		2,65.68	26.13	2,39.55

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत-दत्तमत				
1.	03-मंत्री परिषद	81.31	0.00	81.31
2.	04-न्यायिक प्रशासन	38.67	38.44	0.23
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	74.61	0.00	74.61
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	3,10.53	2.00	3,08.53
5.	10-पुलिस एवं कारागार	17.12	4.00	13.12
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	1,52.73	1.50	1,51.23
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	32.28	0.00	32.28
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,74.45	0.00	1,74.45
9.	15-कल्याण	17.66	1.50	16.16
10.	16- श्रम एवं रोजगार	1.36	0.00	1.36
11.	18- सहकारिता	5.20	0.00	5.20
12.	19-ग्रामीण विकास	70.26	0.00	70.26
13.	20-सिंचाई एवं बाढ़	2,96.28	80.53	2,15.75
14.	21-ऊर्जा	3,14.05	0.00	3,14.05
15.	22- लोक निर्माण	3,23.56	0.00	3,23.56
16.	23-उद्योग	34.66	0.00	34.66
17.	24-परिवहन	44.41	0.00	44.41
18.	26- पर्यटन	71.64	0.00	71.64
19.	27- वन	64.46	0.00	64.46
20.	28-पशुपालन	3.07	0.00	3.07
21.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,17.96	17.08	1,00.88
22.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	59.85	5.87	53.98
योग		23,06.12	1,50.92	21,55.20
पूँजीगत-प्रभारित				
1.	09- लोक सेवा आयोग	3.10	0.00	3.10
योग		3.10	0.00	3.10
महायोग		1,01,16.39	6,17.88	94,98.51

परिशिष्ट-2.10 (अ)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.5; पृष्ठ 44)

30 / 31 मार्च 2017 को दत्तमत्त अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	01	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	20.20	10.02	49.60
2.	04	2014- न्याय प्रशासन	1,77.25	54.14	30.54
		4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	48.00	38.44	80.08
3.	07	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	35.32	13.99	39.61
4.	10	2055- पुलिस	14,16.42	1,06.07	7.49
5.	15	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	13,40.02	1,44.90	10.81
6.	17	2401- कृषि कर्म	7,02.57	25.01	3.56
7.	20	4702-लघु सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,50.03	80.53	53.68
8.	28	2403- पशुपालन	1,80.86	30.63	16.94
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,63.97	26.43	16.12
9.	30	4702- लघु सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय	24.00	16.95	70.63
योग			42,58.64	5,47.11	12.85

परिशिष्ट-2.10 (ब)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.5; पृष्ठ 44)

30 / 31 मार्च 2017 को प्रभारित विनियोग की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	04	2014-न्यायिक प्रशासन	52.22	26.13	50.04
योग			52.22	26.13	50.04

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.6; पृष्ठ 44)

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	01	विधायिका	35.30	3.55	10.06
2	03	मंत्री परिषद	84.58	17.55	20.75
3.	04	न्यायिक प्रशासन	1,77.25	54.67	30.84
4.	05	चुनाव	65.87	9.11	13.83
5.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	28,66.81	12,84.98	44.82
6.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ	59,38.56	10,20.53	17.18
7.	08	आबकारी	23.92	5.13	21.45
8.	09	लोक सेवा आयोग	7.88	2.94	37.31
9.	10	पुलिस एवं कारागार	15,89.83	1,49.77	9.42
10.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	65,13.93	13,13.18	20.16
11.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17,75.94	4,52.31	25.47
12.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	11,61.10	4,16.29	35.85
13.	14	सूचना	1,02.72	4.76	4.63
14.	15	कल्याण	16,63.21	5,04.66	30.34
15.	16	श्रम एवं रोजगार	2,19.74	72.37	32.93
16.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	8,93.88	2,52.03	28.20
17.	18	सहकारिता	49.92	16.69	33.43
18.	19	ग्रामीण विकास	11,17.99	4,85.65	43.44
19.	20	सिंचाई व बाढ़	4,61.65	1,00.57	21.78
20.	22	लोक निर्माण	7,07.66	61.65	8.71
21.	23	उद्योग	2,30.58	1,06.40	46.14
22.	24	परिवहन	65.26	11.69	17.91
23.	25	खाद्य	3,77.27	1,71.66	45.50
24.	26	पर्यटन	58.68	18.69	31.85
25.	27	वन	6,48.38	2,10.08	32.40
26.	28	पशुपालन	2,77.68	73.87	26.60
27.	29	उद्यान विकास	2,59.68	49.46	19.05
28.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	12,41.11	5,42.21	43.69
29.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	3,44.49	1,38.15	40.10
योग			2,89,60.87	75,50.60	26.07
राजस्व-प्रभारित					
1.	02	राज्यपाल	12.25	4.81	39.27
2.	04	न्यायिक प्रशासन	52.22	28.12	53.85
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ	40,10.56	2,26.69	5.65
4.	09	लोक सेवा आयोग	28.97	9.49	32.76
5.	22	लोक निर्माण	7.40	1.38	18.65
योग			41,11.40	2,70.49	6.58

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	20.20	9.93	49.16
2.	03	मंत्री परिषद	1,00.00	81.31	81.31
3.	04	न्यायिक प्रशासन	48.00	38.67	80.56
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	81.70	74.61	91.32
5.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविधसेवाएँ	3,94.13	3,10.53	78.79
6.	10	पुलिस एवं कारागार	24.00	17.12	71.33
7.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	5,59.06	1,52.73	27.32
8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,48.25	32.28	21.77
9.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,84.32	1,74.45	36.02
10.	15	कल्याण	36.28	17.66	48.68
11.	16	श्रम एवं रोजगार	14.25	1.36	9.54
12.	18	सहकारिता	6.95	5.20	74.82
13.	19	ग्रामीण विकास	7,72.10	70.26	9.10
14.	20	सिंचाई व बाढ़	7,72.68	2,96.28	38.34
15.	21	ऊर्जा	4,80.64	3,14.05	65.34
16.	22	लोक निर्माण	16,79.57	3,23.56	19.26
17.	23	उद्योग	1,73.51	34.66	19.98
18.	24	परिवहन	70.00	44.41	63.44
19.	26	पर्यटन	1,89.90	71.64	37.73
20.	27	वन	1,65.15	64.46	39.03
21.	28	पशुपालन	11.39	3.07	26.95
22.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,25.23	1,17.96	36.27
23.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,19.12	59.85	50.24
योग			66,76.43	23,16.05	34.69
पूँजीगत-भारित					
1.	09	लोक सेवा आयोग	5.00	3.10	62.00
योग			5.00	3.10	62.00
महायोग			3,97,53.70	1,01,40.24	25.51

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 47)

2014-15 से 2016-17 के दौरान वर्ष के अन्त में जमा खाते में स्थानान्तरित की गयी निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष/विभाग का नाम (खाता धारक)	निधि स्थानान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष)	कहाँ पर स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में स्थानान्तरण
2014-15				
अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)	26 मार्च 2015	2045-00-103-04	8443-00-800	2.00
योग				2.00
2015-16				
निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण	28 मार्च 2016	नकद चालान	8443-00-106-00	1.60
जिलाधिकारी, देहरादून	31 मार्च 2016	2225-01-800-15	8443-00-106-00	0.14
		2235-02-101-02	8443-00-106-00	0.28
		4408-01-800-01	8443-00-106-00	7.77
		2215-02-105-01	8443-00-106-00	8.42
		2215-00-102-91	8443-00-106-00	0.01
योग				18.22
2016-17				
जिलाधिकारी, देहरादून	31 मार्च 2015	2250-00-800-01	8443-00-106-00	11.88
योग				11.88
महायोग				32.10

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 55)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2016-17 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2017 को) जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	अप्रतिपूर्तित (अगस्त 2017)
1.	03-मंत्रि परिषद	2013	5.00	5.00
2.	04-न्याय प्रशासन	2014	0.05	0.05
3.	09-लोक सेवा आयोग	2051	2.05	2.05
4.	10-पुलिस	2055	6.24	6.24
5.	06- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2070	0.14	0.14
6.	11-सामान्य शिक्षा	2202	18.41	18.41
7.	11-तकनीकी शिक्षा	2203	8.40	8.40
8.	11-खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	2204	2.11	2.11
9.	11-कला एवं संस्कृति	2205	1.33	1.33
10.	12-चिकित्सा एवं लोक स्वस्थय	2210	4.64	4.64
11.	13- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215	20.51	20.51
12.	13- शहरी विकास	2217	1.34	1.34
13.	15-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2235	6.06	6.06
14.	06- प्राकृतिक आपदा से राहत	2245	1.77	1.77
15.	17-फसल कृषि कर्म	2401	2.50	2.50
16.	28-दुग्ध विकास	2404	1.66	1.66
17.	28-मतस्य	2405	0.01	0.01
18.	27- वानिकी और वन्य जीवन	2406	13.12	13.12
19.	19-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515	0.01	0.01
20.	23- ग्राम एवं लघु उद्योग	2851	37.78	37.78
21.	23- अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	2853	0.10	0.10
22.	22-सड़क तथा सेतु	3054	0.27	0.27
23.	26- पर्यटन	3452	1.00	1.00
24.	07- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4059	11.15	11.15
25.	12- चिकित्सा एवं लोक स्वस्थय पर पूंजीगत परिव्यय	4210	2.00	2.00
26.	15- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235	0.07	0.07
27.	15- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250	2.09	2.09
28.	28- मतस्य पर पूंजीगत परिव्यय	4405	0.15	0.15
29.	22- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5054	77.74	77.74
योग			2,27.70	2,27.70

स्रोत: वीएलसी, महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड आँकड़ों से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 55)

वर्ष 2015-16 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2017 को)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	प्रतिपूर्ति न हुई आकस्मिकता निधि	
		2015-16	योग
1.	2013	0.24	0.24
2.	2014	2.35	2.35
3.	2052	0.18	0.18
4.	2055	4.92	4.92
5.	2202	0.43	0.43
6.	2401	24.86	24.86
7.	2515	29.86	29.86
8.	3054	0.30	0.30
योग		63.14	63.14

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 (अ); पृष्ठ 55)

वर्ष 2016-17 तक के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
1.	एनसीसी निदेशालय	2202	02	0.71
2.	पशुपालन	2403	05	13.65
3.	होम गार्ड	2070	03	34.22
4.	सामान्य प्रशासन	2053	01	0.25
5.	ग्रामीण विकास	2515	04	3.82
6.	पंचायती राज	2515	03	34.51
7.	वन	2406	01	0.25
8.	मत्स्य पालन	2405	13	8.46
9.	मुख्य परीवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण	2235	43	2,66.72
10.	चुनाव	2015	47	4,42.95
11.	सिंचाई	2700	01	0.06
योग			123	8,05.60

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 63)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति / कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्रम सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/ संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत (रा ल ब) निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।

8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पादवृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>